



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 2019/वैशाख 31, 1941

No. 169]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2019/VAISAKHA 31, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2019

सं. एल -1/153/2019/ सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 28 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त (सामर्थ्यकारी) सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार पारेषण केन्द्र के फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम 2019 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और आयोग द्वारा जब तक पूर्ववर्ती समीक्षा न की गई हो या उसे विस्तारित न किया गया हो, 1.4.2019 से 31.3.2024 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान लागू होंगे।

2. विस्तार तथा लागू होना

ये विनियम उत्पादन कंपनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, क्रेताओं, विक्रेताओं तथा अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और कोई अन्य उपयोगकर्ताओं से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं:** इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) '**अधिनियम**' से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत हैं;

(2) '**अतिरिक्त पूंजीकरण**' से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित तथा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय अभिप्रेत है;

(3) '**वार्षिक एलडीसी प्रभार (एएलसी)**': वार्षिक एलडीसी प्रभार (एएलसी) में आरएलडीसी और एनएलडीसी द्वारा किए जाने वाले वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) शामिल होगी, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित है।

- (4) 'संपरीक्षक' से समय समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233ख और 619 या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के अध्याय ग, के उपबंधों के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अभिप्रेत है;
- (5) 'बैंक दर' से समय समय पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऋण दर की एक वर्ष की सीमांत लागत प्लस 350 आधार बिन्दु अभिप्रेत है;
- (6) 'क्रेता' से मध्यकालिक या दीर्घकालिक पंहुच के माध्यम से ऊर्जा क्रय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;
- (7) 'पूंजी लागत' से इन विनियमों के विनियम 14 में यथापरिभाषित पूंजी लागत अभिप्रेत है;
- (8) 'पूंजी व्यय या केपेक्स' से, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, की आस्तियों के सृजन के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने वाली योजनाबद्ध पूंजी प्रकृति का व्यय अभिप्रेत है;
- (9) 'प्रभारों' से राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दी गई सेवाओं के लिए इस निमित्त मासिक आधार पर संग्रहित किए जाने वाले आवर्ती संदाय अभिप्रेत हैं;
- (10) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (11) 'आकस्मिकता रिजर्व' आरएलडीसी और एनएलडीसी द्वारा अन्य आय (पंजीकरण शुल्क और अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार के अतिरिक्त) अर्थात् अल्पावधि निर्बाध पंहुच आवेदन शुल्क और प्रचालन प्रभार, आरईसी और पीएटी प्रभार आदि से सृजित और अनुरक्षित रिजर्व है।
- (12) 'संविदागत क्षमता' से दीर्घकालिक या मध्यकालिक पंहुच के माध्यम से व्यवस्थित क्षमता अभिप्रेत है;
- (13) 'नियंत्रण अवधि' से 1.4.2019 से आरंभ होने वाली 5 वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;
- (14) 'दिन' से 0000 घंटे से आरंभ होने वाले 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
- (15) 'प्रभावी कर की दर' से रिटर्न ऑन इन्विटी पर कर की दर (प्रतिशत में) की गणना आयोग द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियंत्रण अवधि के लिए सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तों) नियमों में परिभाषित मानदंडों के अनुरूप संबंधित वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय वर्ष के संबंध में संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संदाय किए गए वास्तविक कर के आधार पर अभिप्रेत है।
- (16) 'उपगत व्यय' से उपयोगी आस्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ऐसी निधि, चाहे इन्विटी या ऋण या दोनों हो, तथा नगद में संदत या नगद के समतुल्य निधि अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसी प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए कोई संदाय नहीं किया गया है;
- (17) 'एगॉनॉमिक्स' से मानव उपयोग के लिए उन्हें अनुकूलित करने के लिए उत्पादों / कार्यालय उपकरणों के डिजाइन को परिष्कृत करना अभिप्रेत है। मानव विशेषताओं, जैसेकि ऊंचाई, वजन, साथ ही साथ मानव श्रवण, दृष्टि, तापमान बरीयताओं के बारे में जानकारी और इतने पर कार्यस्थल उपकरण / फर्नीचर का चयन करते समय विचार किया जाता है। एगॉनॉमिक्स को कभी-कभी मानव कारक इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है।
- (18) 'फीस' से ग्रिड पंहुच और अनुसूचीकरण के आरंभ के लिए दी गई सेवाओं के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और समय समय पर आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता या किसी अन्य मद्दे संगृहीत एक बार गैर-वापसी या वार्षिक नियत संदाय अभिप्रेत है;
- (19) 'फोरम ऑफ लोड डिस्पैचर्स (फोल्ड)' से विनियामक फोरम (एफओआर) द्वारा गठित निकाय और एनएलडीसी में सचिवालय के साथ इसके सदस्य के रूप में एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी अभिप्रेत है।
- (20) 'ग्रिड पंहुच' से उत्पादन केन्द्र के स्टेज या यूनिट या तकनीकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए ग्रिड के साथ अनुज्ञप्तिधारियों, क्रेताओं और विक्रेताओं सहित उत्पादन केन्द्र के समाकलन के लिए संबंधित आरएलडीसी द्वारा प्रदान की गई अनुमति अभिप्रेत है;
- (21) 'एलडीसी विकास निधि' से आयोग द्वारा अनुमोदित मानव संसाधनों के सशक्तीकरण के लिए पूंजी व्यय और अन्य खर्चों को प्रशासित करने के लिए पोसोको द्वारा निर्मित और अनुरक्षित निधि अभिप्रेत है।
- (22) 'अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;
- (23) 'लॉजिस्टिक कृत्य' से इन विनियमों के विनियम 5 (1) के अनुसार एनएलडीसी / आरएलडीसी के लिए समर्थन कृत्य अभिप्रेत है;
- (24) 'बाजार प्रचालन कृत्य' से इन विनियमों के विनियम 5 (2) के अनुसार विद्युत बाजार से संबंधित कृत्य अभिप्रेत है;
- (25) 'राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र' या 'एनएलडीसी' से अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र अभिप्रेत हैं;

(26) 'प्रचालन व्यय या ओपेक्स' उन कार्यों से संबंधित सभी सेवाओं को संदर्भित करता है जहां वितरण का एक महत्वपूर्ण भाग वार्षिक आवर्ती व्यय मोड के माध्यम से होता है;

(27) 'अन्य समर्थन कृत्य' से आरएलडीसी और एनएलडीसी द्वारा किए गए कार्य और इसमें कराधान और टीडीएस सामंजस्य, लेखा, निपटान, बिलिंग और संग्रह, अनुबंध, मानव संसाधन शासन, प्रबंधन सूचना प्रणाली, कानूनी और नियामक मामलों और इनपुट के लिए नीति निर्माण शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है अभिप्रेत है।

(28) 'ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड' या 'पोसोको' से अधिनियम की धारा 26 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन, सौंपी गई कंपनी और अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य संबंधित कृत्य अभिप्रेत है;

(29) 'प्रदेश' से अधिनियम की धारा 25 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई एक प्रलेखित प्रदेश अभिप्रेत है;

(30) 'प्रादेशिक इकाई' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन, संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रादेशिक स्तर पर की जाती है;

(31) 'प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र' या 'आरएलडीसी' से अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रत्येक प्रदेश के लिए केन्द्र अभिप्रेत है;

(32) 'प्रतिस्थापन व्यय या रेपेक्स' से उनके उपयोगी जीवन के पूरा होने पर पूंजी आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिए उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित या उपगत व्यय अभिप्रेत है लेकिन जिसे मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है;

(33) 'विनियामक पूल लेखा' से बाजार विखंडन के कारण विचलन व्यवस्थापन के प्रभारों, रिस्किव ऊर्जा प्रभारों, सहायक सेवा प्रचालन, संकुलता प्रभारों एवं संकुलता राशि के संचालन के लिए आयोग द्वारा सुसंगत विनियमों या आदेशों के अधीन आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा प्रचालित लेखा या किसी अन्य लेखा जिसे आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुसार समय समय से आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा प्रचालित किया जा सकता है, अभिप्रेत हैं;

(34) 'स्कीम' से यथास्थिति इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र एवं ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी (पोसोको) के निगमित कार्यालय से सहबद्ध और उसपर संस्थापित सुविधाएं तथा उपकरण अभिप्रेत हैं;

(35) 'विक्रेता' से मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा किया जाता है;

(36) 'राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी)' से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31 के उपधारा (1) के तहत स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;

(37) 'प्रणाली प्रचालन कृत्य' इन विनियमों के विनियम 5 (3) के अनुसार होगा;

(38) 'उपयोक्ता' से उत्पादन कंपनियां, वितरण लाइसेंसधारी, खरीदार, थोक उपभोक्ता (एसईजेड), विक्रेता और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, मांग प्रतिक्रिया उपभोक्ता, योग्य समन्वय एजेंसी (क्यूसीए), या ऐसी कोई अन्य मौजूदा (या भविष्य में परिकल्पित) इकाई जो अंतरराज्यिक पारेषण नेटवर्क या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों की संबंधित सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, इन विनियमों के विनियम 7 के अनुसार आगे वर्णित हैं।

(39) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित है, या सीईआरसी (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड), विनियम, 2010 में अधिनियम या सीईआरसी (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के तहत उन्हें समय-समय पर संशोधित अर्थ दिए जाएंगे।

अध्याय 2

सामान्य

रजिस्ट्रीकरण:

(1) आरएलडीसी या एनएलडीसी की प्रणाली प्रचालन का लाभ उठाने के लिए ग्रिड पहुंच की आरंभ करने के लिए उपयोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) के साथ ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से रजिस्टर करेंगे:

(क) ग्रिड पहुंच का उपयोग करने के लिए सभी उत्पादन केन्द्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या इन विनियमों के खंड 3 (38) के तहत परिभाषित किसी अन्य उपयोक्ता को इन विनियमों के परिशिष्ट IV में निर्धारित फार्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए ग्रिड पहुंच के आरंभ की अभीष्ट तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व अनुसूचीकरण, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन और स्वीचिंग प्रचालनों के लिए उतरदायी संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में रजिस्टर करेंगे:

परंतु यह कि जब कोई यूनिट उत्पादन केन्द्र में जोड़ा जाता है या एक घटक पारेषण प्रणाली में जोड़ा जाता है, तो, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इसके रिकार्ड को दो दिनों के भीतर अद्यतन करने के लिए संबंधित आरएलडीसी को सूचित करेगा;

(ख) क्रेता और विक्रेता जो ग्रिड पहुंच का उपयोग करना चाहते हैं, इन विनियमों के परिशिष्ट IV में निर्धारित फार्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए ग्रिड पहुंच के आरंभ की अभीष्ट तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को रजिस्टर करेंगे;

(ग) ऐसे पावर एक्सचेंज और व्यापारी जो आरएलडीसी और एनएलडीसी की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, इन विनियमों के परिशिष्ट-IV में निर्धारित फार्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को रजिस्टर करेंगे।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर, नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए स्व-निर्गत पावती जारी की जाएगी।

(3) आवेदक का आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर संवीक्षा के बाद, आरएलडीसी/ एनएलडीसी आवेदन की कमियों को स्वीकार करेगा, यदि कोई हो तो आवेदक को एक सप्ताह के भीतर कमियों को ठीक करना होगा, ऐसा नहीं कर पाने आवेदन निरस्त हो जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों की संवीक्षा के बाद और आवेदन में प्रस्तुत सूचना की शुद्धता से संतुष्ट होने के बाद, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र आवेदक को रजिस्टर करेगा और आवेदक को लिखित सूचना भेजेगा:

(5) विनियम 3 (38) में निर्दिष्ट उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पावर एक्सचेंज, व्यापारी, विक्रेता और क्रेता और कोई अन्य उपयोगकर्ता इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगे।

(6) आरएलडीसी या एनएलडीसी यथास्थिति रजिस्टर की तारीख के साथ अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर उपयोक्ताओं की एक सूची बनाए रखेगा।

(7) आरएलडीसी कम से कम एक महीने का नोटिस जारी करने के बाद, 90 दिनों से अधिक समय तक आरएलडीसी शुल्क और प्रभार के भुगतान में लगातार चूक के मामले में एक उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त कर सकता है या संयोजकता को समाप्त कर सकता है। मूल रजिस्टर प्रभार के 50 प्रतिशत का भुगतान करके डिफॉल्ट के ठीक हो जाने या संयोजकता के फिर से स्थापित हो जाने पर उपयोक्ता बाद में पुनः रजिस्टर कर सकता है।

5. आरएलडीसी और एनएलडीसी के कृत्य

(1) लाॅजिस्टिक कार्य में डिजाइन, प्रचालन और रखरखाव शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे:

- क. नये एससीएडीए / ईएमएस / डब्ल्यूएएमएस / आरईएमसी के उन्नयन की इंजीनियरिंग
- ख. एससीएडीए / ईएमएस / डब्ल्यूएएमएस / आरईएमसी बुनियादी ढांचे का रखरखाव
- ग. सिंक्रो-फेजर तकनीकें
- घ. रियल टाइम सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग
- ङ. ऑफ-लाइन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग
- च. बिग डेटा एनालिटिक्स टूल
- छ. निर्णय समर्थन प्रणाली
- ज. आईटी, नेटवर्किंग और संचार प्रणाली जिसमें वेबसाइट, वाई-फाई पहुँच प्रणाली सिस्टम, साइबर सुरक्षा और अन्य संबंधित प्रणालियाँ शामिल हैं
- झ. सम्मेलन और बैठक संबंधी सुविधाओं सहित ऑडियो-विजुअल उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण आदि।
- ञ. विद्युत आपूर्ति प्रणाली
- ट. अग्निशमन और अलार्म सिस्टम
- ठ. एर्गोनोमिक प्रणाली
- ड. सार्वजनिक पता प्रणाली

(2) बाजार प्रचालन कृत्य शामिल है, लेकिन निम्नलिखित कृत्यों तक सीमित नहीं होगा:

- क. नई संस्थाओं सहित ग्रिड पहुँच को सुगम बनाना, लेकिन तत्वों के पहली बार चार्ज करने तक सीमित नहीं है
- ख. विश्वसनीयता को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था का कारण बनने के लिए बाजार डिजाइन के संबंध में प्रतिक्रिया

- ग. निर्बाध पहुंच प्रबंधन
- घ. ऊर्जा लेखांकन के लिए अंतर-परिवर्तन कार्यक्रम को अंतिम रूप देना
- ङ. डे अहेड बाजार,
- च. रियल टाइम मार्केट,
- छ. अनुषंगी सेवा बाजार,
- ज. इंटरफ़ेस ऊर्जा मीटरिंग

(3) आयोग द्वारा निर्देशित आरईसी और पीएटी के तहत रजिस्ट्री कार्य और अन्य समान योजना में शामिल हैं:

झ. सूचना प्रसार

ज. अधिनियम और / या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र नियम, 2005 ('एनएलडीसी नियम') या आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों के तहत आरएलडीसी या एनएलडीसी को सौंपे गए अन्य कृत्य;

(4) प्रणाली प्रचालन कार्य शामिल हैं, लेकिन निम्न कार्यों तक सीमित नहीं होंगे

क. प्रचालन की योजना

- i. लोड पूर्वानुमान
- ii. आरई पूर्वानुमान
- iii. ईंधन सुरक्षा निर्धारण
- iv. उत्पादन लागत अनुकूलन अध्ययन
- v. उत्पादक आउटेज योजना
- vi. पारेषण आउटेज योजना
- vii. अंतरण क्षमता का आकलन
- viii. रिएक्टिव ऊर्जा का अध्ययन
- ix. शॉर्ट सर्किट और क्षणिक स्थायित्व अध्ययन
- x. लघु सिग्नल स्थायित्व अध्ययन
- xi. विद्युत चुम्बकीय क्षणिक अध्ययन
- xii. मॉक ब्लैक स्टार्ट ड्रिल
- xiii. बैकअप नियंत्रण केंद्र का प्रचालन
- xiv. विशेष आयोजनों जैसे त्योहारों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़ आदि की तैयारी
- xv. प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण (प्रचालन, बहाली)

ख. डे अहेड और वास्तविक समय के आधार पर अनुसूची और प्रेषण

- i. सभी आउटेज को फैक्टर करते हुए डे अहेड सुरक्षा अध्ययन
- ii. इकाई प्रतिबद्धता
- iii. डे अहेड अनुकूलन और अनुसूचीकरण
- iv. शिफ्ट क्रू संसाधन प्रबंधन
- v. सकुंचन को कम करना और प्रत्याशा
- vi. विशेष आयोजनों के लिए तैयारी
- vii. प्रचालन नियोजन क्षितिज में अनपेक्षित / आपातकालीन स्थिति के लिए हैंडलिंग अनुरोध

ग. रियल टाइम प्रचालन

- i. फ्रीक्वेंसी नियंत्रण
- ii. वोल्टेज नियंत्रण
- iii. टाई लाइन भारण नियंत्रण

- iv. सकुंचन प्रबंधन
- v. प्रत्येक समय सुरक्षा सुनिश्चित करना
- vi. सहायक सेवाएं
- vii. संतुलित सेवाएं, स्वचालित उत्पाद नियंत्रण
- viii. रियल टाइम आकस्मिक विश्लेषण
- ix. गतिक सुरक्षा निर्धारण
- x. मौसम अपडेट की निगरानी करना
- xi. आपातकालीन आउटेज अनुरोधों को संभालना
- xii. ट्रिपिंग के बाद नेटवर्क की बहाली
- xiii. उत्पादन का पुनर्निर्धारण
- xiv. ग्रिड की बाधाओं (जीडी) / ग्रिड घटना (जीआई) की रिपोर्टिंग
- xv. हितधारकों के साथ आवधिक संचार और आपातकाल के मामले में संवेदनशील
- xvi. चरम घटना के बाद डी-ब्रीफिंग

घ. तथ्य या पोस्ट प्रेषण विश्लेषण के बाद:

- i. आवृत्ति और वोल्टेज का विश्लेषण
- ii. ग्रिड कोड उल्लंघन का विश्लेषण और एजेंसियों के साथ पालन करना
- iii. ग्रिड घटनाओं का विश्लेषण (जीडी / जीआई)
- iv. व्यक्तिगत नियंत्रण क्षेत्रों की आवृत्ति प्रतिक्रिया विशेषताओं (एफआरसी) की प्राथमिक प्रतिक्रिया अर्थात् संगणना का मूल्यांकन
- v. निम्न आवृत्ति दोलन (एलएफओ) निगरानी और विश्लेषण
- vi. ग्रिड बाधाओं / ग्रिड घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट
- vii. इसके बाद की घटनाओं और सीखने का अनुकरण
- viii. घटनाओं का दोहराव, सबक लेना और उसी का प्रसार करना
- ix. हितधारकों के साथ कमियों को उठाना

ङ. सीईए / सीटीयू / एसटीयू / सीईआरसी / एसईआरसी की परिचालन फीडबैक को प्रस्तुत करना

च. यथास्थिति, अधिनियम या एनएलडीसी नियमों या विनियमों और / या समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत आरएलडीसी या एनएलडीसी को सूचना प्रसार और सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य;

6. स्कीम में शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे: -

- छ. पर्यवेक्षण नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली, व्यापक क्षेत्र परिमापन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएस), नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी), मौसम पोर्टल और इस तरह की अन्य संबंधित सूचना प्रणाली
- ज. कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा प्रणाली, विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, बाँयस रिर्कोर्डिंग सिस्टम
- झ. एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किये गए कार्यालय के फर्नीचर / उपकरण
- ञ. सहायक विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति, डीजल जेनरेटिंग सेट और डीसी विद्युत प्रणाली शामिल हैं,
- ट. संचार प्रणाली जिसमें अनावश्यक संचार अवसंरचना- पारंपरिक प्रणालियों के अलावा उपग्रह संचार शामिल हैं,
- ठ. अन्य अवसंरचना सुविधाएँ, जैसे कि एयर-कंडीशनिंग, अग्निशमन और इमारतों का निर्माण और नवीनीकरण, ऊर्जा के

क्षेत्र में रूफ-टॉप सोलर इकाइयाँ आदि।

- ड. बेहतर प्रणाली प्रचालन के लिए कोई नवीन योजनाएँ आरएंडडी परियोजनाएँ और पायलट परियोजनाएँ, जैसे सिंक्रो-फ्रेज़र्स, सिस्टम प्रोटेक्शन स्कीम,
- ढ. आरएलडीसी और एनएलडीसी के लिए आपदा वसूली (चरण- I और चरण- II) नियंत्रण केंद्र,
- ण. निगरानी प्रणाली,
- त. एलडीसी के वेब सर्वर के लिए दोहरी अनावश्यक इंटरनेट संयोजकता
- थ. एनएमएस (नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली) और नेटवर्क और आईटी एसेट मॉनिटरिंग के लिए एसेट मैनेजमेंट टूल
- द. बाजार प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर
- ध. साइबर सुरक्षा प्रणाली बुनियादी सुविधाएं जैसे एंटी-एपीटी (एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट) मॉनीटरिंग, वलनरबिलिटी असेसमेंट फॉर परसिस्टेंट थ्रेट (वीएपीटी) और कंट्रोल डिवाइस, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) ज़ोन एंड लेयर, सिक्वोर सॉकेट लेयर (एसएसएल) सर्टिफिकेट, एसएसएल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) और सिक्वोरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट (एसआईएम)
- न. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और प्रचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) अनुप्रयोगों की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा

प. आईटी / ओटी उपकरणों के लिए अनावश्यक संचार लिंक / वितरण पथ

- क. अनावश्यक स्थल ढांचा - आपदा रिकवरी
 - ख. उपकरण की सेवा करने वाले कई स्वतंत्र वितरण पथ
 - ग. साइट टोपोलॉजी के साथ दोहरी ऊर्जा और पूरी तरह से संगत
 - घ. शीतलन उपकरण एयर कंडीशनिंग प्रणाली सहित दोहरी संचालित
 - ङ. विद्युत ऊर्जा भंडारण, अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति, वितरण सुविधा के साथ दोष सहिष्णु स्थल बुनियादी ढांचा
 - च. आईटी के लिए भौतिक पहुंच सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है - बायोमेट्रिक एक्सेस, सीसीटीवी निगरानी, फायर अलार्म और अग्निशमन प्रणाली के साथ ओटी बुनियादी ढांचा।
- फ.** अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं जैसे 'डिजिटल सिग्नेचर', 'इंस्टेंट मैसेजिंग फॉर बिजनेस', 'केंद्रीयकृत पैच प्रबंधन एंड एंटीवायरस सर्वर', 'सिसलॉग सर्वर' और 'एंट्रप्राइज क्लास बैकअप और रेप्लिकेशन सॉफ्टवेयर' आदि।
- ब.** भविष्य की तकनीकें जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग (जैसे पास (सेवा के रूप में एक प्लेटफॉर्म), सास (सेवा के रूप में एक सॉफ्टवेयर) और दास (सेवा के रूप में एक डेस्कटॉप) जैसे सार्वजनिक क्लाउड, निजी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड), बिग डेटा एनालिटिक्स टूल और एडवांस्ड डाटा विजुअलाइज़ेशन टूल (जीआईएस इंटरफेस के साथ) आदि पर उपलब्ध हैं।
- भ.** एगोर्नामिकिली डिजाइन कार्यालय उपकरण

7. उपयोक्ता विनिर्देशन

- (1) ऐसा उत्पादन केन्द्र या यूनिट जिसका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन प्रत्येक स्टेज या यूनिट के लिए अलग से किया जाता है, इस प्रकार के उत्पादन केन्द्र, स्टेज या यूनिट को इन विनियमों के विनियम 31 के अनुसार वार्षिक एलडीसी प्रभारों (एएलसी) की शेयरिंग के प्रयोजन के लिए और इन विनियमों के विनियम 29 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस के संदाय के लिए प्रयोक्ता के रूप में समझा जाएगा;
- (2) अंतरराज्यिक अनुज्ञप्तिधारियों के मामले में प्रत्येक क्षेत्र जहां अनुज्ञप्तिधारी का प्रचालन है, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझा जाएगा;
- (3) जहां अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली किसी सीमा पार की अंतर्राष्ट्रीय पारेषण प्रणाली से संबद्ध है वहां उक्त पारेषण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा के आयात और निर्यात के लिए किए गए संव्यवहार के लिए अनुसूचीकरण, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन के समन्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझी जाएगी;
- (4) जहां भारतीय ग्रिड की अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली किसी सीमा पार के उत्पादन केन्द्र से संबद्ध है और मध्यम और / या दीर्घकालिक

पीपीए के माध्यम से ऊर्जा अन्तःक्षेपित कर रहा है, वहां उक्त पारेषण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा के आयात और निर्यात के लिए किए गए संव्यवहार के लिए अनुसूचीकरण, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन के समन्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझी जाएगी;

(5) सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और भाखड़ा वीस प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जिनका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन संबंधित आरएलडीसी द्वारा किया जाता है, इस विनियम के प्रयोजन के लिए संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के उपयोक्ताओं के रूप में समझे जाएंगे;

(6) एलटीए या एमटीओए के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के विक्रय और पारेषण प्रणाली का उपयोग करके इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "विक्रेता" श्रेणी के तहत एक उपयोक्ता के रूप में माना जाएंगे;

(7) कोई भी अन्य इकाई जो समय-समय पर आरएलडीसी और एनएलडीसी की सेवाओं का उपयोग कर सकती है;

8. पूंजी व्यय (केपेक्स) और प्रतिस्थापन व्यय (रेपेक्स) योजना:

(1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड द्वारा विधिवत नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी व्यय (केपेक्स) और प्रतिस्थापन व्यय (रेपेक्स) के लिए स्कीम तैयार करेंगे। केपेक्स और रेपेक्स योजना में वर्तमान पूंजी आस्तियों के अतिरिक्त अवसंरचना के उन्नयन, आधुनिकीकरण, स्वचालन और विस्तार के लिए उपगत की जाने वाली भावी लागत को भी शामिल किया जाएगा।

(2) संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए याचिका के साथ निम्नलिखित को प्रस्तुत करेंगे:

(क) अनुमानित व्यय के विवरण और प्रत्येक योजना की अनुमानित पूर्णता अवधि के साथ नियंत्रण अवधि के लिए केपेक्स;

(ख) प्रचालन प्रणाली की बढ़ती अपेक्षा और प्रत्येक स्कीम की प्राक्कलित समापन अवधि को समायोजित करने के लिए अनुमानित व्यय, पूंजी लागत की उपयुक्तता, विद्यमान आस्तियों का जीवन समापन, वसूल किया गया संचयी अवक्षयण, प्रतिस्थापन की तारीख तक, ऋण का संचयी पुनर्भुगतान मूल नियत आस्तियों से मूल आस्तियों के सकल मूल्य को बढ़े खाते के लिए रिपैक्स योजना।

(3) एक या अधिक आरएलडीसी और/या एनएलडीसी को शामिल करने वाली केपेक्स और रिपेक्स की किसी समेकित योजना के संबंध में प्रत्येक आरएलडीसी और एनएलडीसी का प्रभार्य पूंजी व्यय को पृथक किया जाएगा और, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के पूंजी व्यय के भाग के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, समझा जाएगा।

9. ओपेक्स योजना

आरएलडीसी और एनएलडीसी ओपेक्स के तहत आने वाली सेवाओं की पहचान करेंगे और फीस और प्रभारों के अवधारण के साथ-साथ पोसोको के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत वर्ष वार ओपेक्स योजना याचिका सहित प्रस्तुत करेंगे।

बध्याय-3

फीस और प्रभारों के अवधारण

10. फीस और प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन:

(1) आरएलडीसी और एनएलडीसी, नियंत्रण अवधि के लिए फीस तथा प्रभारों के अवधारण के लिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 180 दिनों के अंदर इन विनियमों के परिशिष्ट - I संलग्न फार्मेट में 1.4.2019 का संपरीक्षक द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित एवं उपगत तथा केपेक्स और रिपेक्स पर आधारित नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय और अन्य व्यय अर्थात् मानव संसाधन व्यय, संचालन और रखरखाव, कार्यशील पूंजी पर ब्याज आदि के आधार पर आवेदन करेंगे।

(2) आवेदन में निधियों के स्रोत, प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपस्कर, बढ़े खाते डाली गई आस्तियों के ब्यौरे तथा पूंजीकृत किए जाने वाली आस्तियों के ब्यौरे इत्यादि जैसी विशिष्टियां शामिल होंगी।

(3) आवेदन करने से पूर्व, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, उपयोक्ताओं पर आवेदन की तामील करेगा और आवेदन के साथ तामील प्रमाण प्रस्तुत करेगा। संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी इसकी याचिका के निपटान तक इसकी वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन को भी उपलब्ध रखेगा।

(4) यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, आवेदन करने के पश्चात् 7 दिनों के भीतर उपलब्ध आवेदन की सूचना कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा जिनमें से एक अंग्रेजी भाषा में होगा और एक भारतीय आधुनिक भाषा में, तथा जिसका प्रचलन उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, जहां उपयोक्ता अवस्थित हो, उसी भाषा में होगा जिसमें आवेदन की सूचना इन विनियमों के परिशिष्ट II में दिए गए फार्मेट में प्रकाशित की गई है। यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी, उपयोक्ताओं से आवेदन के नोटिस के प्रकाशन पर इस तरह के व्यय को एक बार के व्यय के रूप में वसूल करेगा।

(5) यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, को आयोग द्वारा फीस एवं प्रभार 1.4.2019 की स्थिति के अनुसार उपगत पूंजी व्यय पर आधारित और केपेक्स और रेपेक्स के आधार पर नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय पर अनुज्ञात किए जाएंगे:

परंतु यह कि, आवेदन में उपगत पूंजी व्यय तथा केपेक्स और रेपेक्स के अनुसार उपगत किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय के लिए औचित्य एवं पूर्वानुमानों को रेखांकित करने वाले ब्यौरे शामिल होंगे।

(6) यदि आवेदन इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के अधीन यथाअपेक्षित किसी संबंध में अपर्याप्त है, आवेदन आयोग के स्टाफ द्वारा उल्लिखित की गई कमियों को संशोधित करने के बाद याचिका को पुनःप्रस्तुत करने के लिए संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी को लौटाया जाएगा।

(7) आयोग प्रत्यर्थियों और उपभोक्ताओं या उपभोक्ता संघ को शामिल करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किए गए सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई है, पर विचार करेगा। आयोग याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थियों तथा आयोग द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के बाद फीस एवं प्रभार आदेश को अवधारित करने वाला आदेश जारी करेगा।

(8) आवेदन के लंबित रहने के दौरान, आवेदक इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा फीस एवं प्रभारों के अनुमोदन तक 1.4.2019 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए पूर्ववर्ती नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित और 31.3.2019 को यथा लागू फीस एवं प्रभारों के आधार पर उपयोक्ताओं के बिल जारी रखेगा। टू अप के आधार पर यह नियंत्रण अवधि 2019-2024 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित होगी।

(9) नियंत्रण अवधि की समाप्ति के बाद आवेदक लागू विनियमों के अंतर्गत फीस एवं प्रभारों के अनुमोदन तक 1.4.2024 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए 31.3.2024 को लागू एवं आयोग द्वारा अनुमोदित फीस एवं प्रभारों के आधार पर अनंतिम रूप से प्रयोक्ताओं के बिल जारी रखेगा।

11. फीस एवं प्रभारों का अवधारण

फीस एवं प्रभार प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए पृथक रूप से अवधारित होंगे:

परंतु यह कि, नियंत्रण अवधि के लिए निगमित कार्यालय व्यय को शामिल करते हुए एनएलडीसी का वार्षिक प्रभार संबंधित क्षेत्र में की गई पीक मांग (मेगावाट में) के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में संविभाजित किया जाएगा, जैसाकि, पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सीईए की वेबसाइट पर निर्दिष्ट किया गया है।

12. पूंजी व्यय की प्रज्ञावान जाँच

पूंजी लागत की प्रज्ञावान जांच के लिए अपनाए गए सिद्धांत पूंजीगत लागत की उपयुक्तता, वित्तपोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों की उन्नयनशीलता/आरोह्यता और प्रचालन प्रणाली की बढ़ती अपेक्षा को समायोजित करने के लिए लागत आधिक्य, समय आधिक्य, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से उपकरण और सामग्री की खरीद की आवश्यकता होगी और इस तरह के अन्य मामलों को आयोग द्वारा फीस और प्रभारों के निर्धारण के लिए उपयुक्त माना जा सकता है;

परंतु यह कि, प्रज्ञावान जांच करते समय, आयोग यह भी जाँच करेगा कि क्या आरएलडीसी या एनएलडीसी, जैसा भी मामला हो, परियोजना के निष्पादन में अपने न्यायों और निर्णयों में सावधानी बरत रहा है।

13. वार्षिक प्रभारों टूइंगअप

(1) आरएलडीसी और एनएलडीसी टूइंगअप अभ्यास के लिए नियंत्रण अवधि की समाप्ति के बाद 31.10.2024 तक इन विनियमों के परिशिष्ट I से संबद्ध फार्मेटों में आवेदन करेगा।

(2) आरएलडीसी और एनएलडीसी लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक्तः संपरीक्षित और प्रमाणित 1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय, वित्तपोषण के स्रोत, मानव संसाधन व्यय, प्रचालन और रखरखाव व्यय इत्यादि सहित, पूंजी व्यय के ब्यौरे टूइंगअप के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे।

(3) आयोग 31.3.2024 तक उपगत एवं टूइंगअप के समय प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय पर आधारित अगली नियंत्रण अवधि के लिए फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन सहित टूइंगअप अभ्यास करेगा:

परंतु यह कि, यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय पर आधारित वार्षिक सामंजस्य व्यय की टूइंगअप करेगा और आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रयोक्ताओं को फीस एवं प्रभारों की अतिरिक्त वसूली वापस करेगा।

परंतु यह कि यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी, नियंत्रण अवधि के भीतर एक बार अपने खर्चों की मध्यावधि समीक्षा करेगा, यदि समान स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो, जैसे कि वेतन पुनरीक्षण, अनुमोदित केपेक्स या रेपेक्स या किसी अन्य नहीं देखी गयी

आवश्यकता के संबंध में महत्वपूर्ण विचलन, और इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से दो साल बाद आयोग के समक्ष टू-अप याचिका दायर कर सकता है।

(4) यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कम वसूल की गई या अधिक वसूल की गई रकम, संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को यथा विद्यमान बैंक दर की समान दर पर साधारण ब्याज पर छः समान मासिक किस्तों में, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी या प्रयोक्ताओं द्वारा, वसूली या वापस की जाएगी।

अध्याय-4

अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीलागत की संगणना

14. पूंजी लागत की संगणना:

(1) यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या, एनएलडीसी के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत वार्षिक प्रभारों के अवधारण के लिए आधार होगी।

(2) पूंजी लागत निम्नलिखित पर विचार करते हुए संगणित की जाएगी:

(i) दायित्व को छोड़ते हुए यदि कोई है, सम्यक्तः ट्रूइंगअप करते हुए 1.4.2019 को आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत, यदि कोई;

(ii) विनियम 15 (1) के अनुसार निर्धारित अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण व्यय;

(iii) नियंत्रण अवधि के दौरान संस्थापित की गई नियत आस्तियां विनियम 15 (2) के अनुसार अवपूँजीकृत की जाएंगी;

(iv) संनिर्माण के दौरान ब्याज और संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय।

(v) परियोजना के निष्पादन के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी सांविधिक निकाय से प्राप्त कोई अनुदान जो कोई दायित्व या पुनर्भुगतान नहीं रखता उसे ऋण पर ब्याज की संगणना के प्रयोजन, रिटर्न ऑन इक्विटी और अवक्षयण के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से अपवर्जित किया जाएगा।

(3) पूंजी लागत प्रज्ञावान जांच के बाद स्वीकार की जाएगी जिसमें पूंजी व्यय की उपयुक्तता, वित्तपोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय, वित्त पोषण प्रभार, विदेशी विनिमय भिन्नता के कारण कोई लाभ या हानि, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, ओवर रन लागत और टाईम ओवर रन और ऐसे अन्य मामलों की संवीक्षा शामिल है जिन्हें आयोग द्वारा उचित समझा जा सकता है:

परंतु यह और कि संनिर्माण के दौरान ब्याज, ऋण निधि के इनफ्यूजन की तारीख से ऋण और टाईम ओवर रन के कारण आईडीसी को सम्यक्तः समायोजित करते हुए निधियों की प्रज्ञावान चरणबद्धता को ध्यान में रखने के बाद तत्समान रूप से संगणित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि, संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय टाईम ओवर रन, यदि कोई है, जमा या अग्रिमों पर ब्याज या कोई अन्य प्राप्ति एवं विलंब के तत्समानी वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों के कारण आईडीसी के सम्यक्तः समायोजन करते हुए प्रज्ञावान जांच के बाद संगणित किया जाएगा।

(4) आरएलडीसी या एसएलडीसी 1.4.2019 को किए गए पूंजीगत व्यय के लिए लेखा संपरीक्षक प्रमाण पत्र और, 2019-24 की अवधि से संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित पूंजी व्यय के लिए एक अधिकृत व्यक्ति जोकि कंपनी के निदेशक के स्तर से नीचे नहीं है, द्वारा यथाहस्ताक्षरित प्रबंधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

15. अतिरिक्त पूंजीकरण और अवपूँजीकरण

(1) टैरिफ अवधि के दौरान उपास की जाने वाली प्रक्षेपित अतिरिक्त आस्तियों तथा पहले से सेवा में आस्तियों के लिए उपगत किए जाने के वाली प्रक्षेपित या उपगत पूंजी व्यय पूंजीकरण और अव-पूँजीकरण के लिए प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा इसके विवेकानुसार स्वीकृत की जा सकती है:

(2) रेपेक्स या अन्यथा के अंतर्गत आस्तियों के अवपूँजीकरण के मामले में अवपूँजीकरण की तारीख को ऐसी आस्ति की मूल लागत, इक्विटी में तत्समानी समायोजन, बकाया ऋण, इस प्रकार के अवपूँजीकरण वर्ष में अवक्षयण एवं ऋण के संचयी पुनर्भुगतान सहित सकल नियत आस्ति के मूल्य से कटौती की जाएगी।

16. ऋण इक्विटी अनुपात:

(1) वास्तविक ऋण: 31.3.2019 को समाप्त अवधि के लिए आयोग द्वारा यथा स्वीकृत ऋण इक्विटी अनुपात, यथास्थिति, अगली नियंत्रण अवधि के लिए प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र की आरंभिक पूंजी लागत के लिए विचार में लिया जाएगा:

(2) 1.4.2019 से पूर्व उपगत पूंजी व्यय जहां ऋण इक्विटी अनुपात 31.3.2019को समाप्त अवधि के लिए आरएलडीसी के वार्षिक प्रभारों के अवधारण के लिए आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है, वहां आयोग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के लिए फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध विषय) विनियम, 2015 के विनियम 11(3) के अनुसार ऋण इक्विटी अनुपात को अवधारित करेगा।

(3) 1.4.2019 को या उसके बाद उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय के लिए ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 के रूप में समझा जाएगा। यदि वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से अधिक है वहां 30 प्रतिशत से अधिक इक्विटी को मानकीय ऋण के रूप में समझा जाएगा:

परंतु यह कि:

i. जहां वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से कम है वहां वास्तविक इक्विटी को रिटर्न ऑन इक्विटी के अवधारण के लिए विचार में लिया जाएगा;

ii. विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी प्रत्येक निवेश की तारीख को भारतीय रूपए में निर्दिष्ट की जाएगी;

iii. परियोजना के निष्पादन के लिए प्राप्त एलडीसी विकास निधि से भिन्न कोई अन्य अनुदान ऋण इक्विटी अनुपात के प्रयोजन के लिए पूंजी संरचना के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण: परियोजना के निधियन के लिए शेयर पूंजी जारी करते समय ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा प्रोद्भूत कोई प्रीमियम, यदि कोई हो और अपनी मुक्त आरक्षित से सृजित आंतरिक संसाधनों का विनिधान तो इक्विटी पर रिटर्न की संगणना के प्रयोजन के लिए समादत्त पूंजी के रूप में माना जाएगा परंतु यदि ऐसी प्रीमियम रकम तथा आंतरिक संसाधनों का वास्तव रूप में उपयोग आरएलडीसी के पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता हो।

अध्याय-5

फीस और प्रभार संरचना

17. **आरएलडीसी फीस और प्रभारों के संघटक:** आरएलडीसी फीस और प्रभार में ग्रिड पहुंच के आरंभ और अनुसूचीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वसूल की जाने वाली क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र फीस तथा प्रयोक्ताओं से वार्षिक एलडीसी प्रभार के रूप में वसूल किए जाने वाले वार्षिक प्रभारों को समाविष्ट किया जाएगा।

18. **वार्षिक एलडीसी प्रभार (एएलसी):** वार्षिक एलडीसी प्रभार आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा और आयोग द्वारा अनुमोदित के अनुसार उपगत किए जाने वाले व्यय के अनुरूप होंगे। आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार (एएलसी) मासिक आधार पर वसूल किया जाएगा। वार्षिक प्रभार में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे, अर्थात्:

(क) रिटर्न आन इक्विटी

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज

(ग) अवक्षयण

(घ) प्रचालन तथा रखरखाव खर्च (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर)

• प्रशासनिक और सामान्य व्यय (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर);

• मरम्मत और रखरखाव खर्च;

(ङ) ओपेक्स

(च) मानव संसाधन विकास (मानव संसाधन विकास) सहित मानव संसाधन (एचआरडी) व्यय;

(छ) एनएलडीसी तथा निगमित कार्यालय खर्च

(झ) कार्य पूंजी पर ब्याज

अध्याय -6

वार्षिक एलडीसी प्रभारों की संगणना (एएलसी)

19. इक्विटी पर रिटर्न

(1) इक्विटी पर रिटर्न, इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर रूपए में संगणित की जाएगी।

(2) इक्विटी पर रिटर्न, इस विनियम के उपखंड (3) के अनुसार संकलित की जाने वाली 15.50 प्रतिशत की पूर्व कर आधार दर पर संगणित की जाएगी।

(3) इक्विटी पर रिटर्न की दर संबंधित वित्त अधिनियम के आधार पर संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ आधार दर को संकलित करते हुए संगणित की जाएगी:

(4) नियंत्रण अवधि के दौरान संबंधित वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड को लागू वास्तविक कर दर के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न नियंत्रण अवधि के अंत में टू-अप किया जाएगा।

(5) इक्विटी पर रिटर्न की दर 3 डेसीमल बिन्दुओं तक पूर्णांकित की जाएगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी:-

इक्विटी पर कर पूर्व रिटर्न की दर - आधार दर/(1-टी)

जहां 'टी' उपखंड (3) और विनियम 3 (15) के अनुसार प्रभावी कर दर है।

20. ऋण पूंजी पर ब्याज

(1) विनियम 16 के अनुसार अवधारित ऋण को ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए सकल मानकीय ऋण के रूप में समझा जाएगा।

(2) 1.4.2019 को अनुसार बकाया मानकीय ऋण सकल मानकीय ऋण से 31.3.2019 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान की कटौती करते हुए निकाला जाएगा।

(3) नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष के लिए पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए अनुज्ञात अवक्षयण के बराबर समझा जाएगा। आस्तियों के अवपूँजीकरण के मामले में, पुनर्भुगतान समानुपातिक आधार पर संचयी पुनर्भुगतान को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा और समायोजन ऐसी आस्ति के अवपूँजीकरण की तारीख तक वसूल किए गए संचयी अवक्षयण से अधिक नहीं होना चाहिए।

(4) ब्याज की दर, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को लागू प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियों के आधार पर संगणित भारित औसत ब्याज दर होगी:

परंतु यह कि यदि किसी विशेष वर्ष के लिए वास्तविक ऋण नहीं है किन्तु सामान्य ऋण अभी भी बकाया है तो ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि किसी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड के ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर पर संपूर्ण रूप से विचार किया जाएगा।

(5) ऋण पर ब्याज को ब्याज की भारित औसत दर लागू करते हुए वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर संगणित की जाएगी।

(6) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ब्याज पर शुद्ध बचत के परिणामस्वरूप ऋण के पुनर्वित्त का प्रत्येक प्रयास करेगी और उस स्थिति में इस प्रकार के पुनर्वित्त से संबद्ध लागत प्रयोक्ताओं द्वारा वहन की जाएगी और शुद्ध बचतें प्रयोक्ताओं तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच 50:50 के अनुपात में शेयर की जाएगी। ऋणों के निबंधन और शर्तों में परिवर्तन ऐसे पुनर्वित्त की तारीख से प्रतिबिम्बित किया जाएगा।

परंतु यह कि, प्रयोक्ता ऋण के पुनर्वित्त से उद्भूत किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान प्रयोक्ताओं और ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दावा किए गए ब्याज के कारण कोई भुगतान नहीं रोकेगा।

21. अवक्षयण

(1) अवक्षयण के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत आस्तियों की पूंजी लागत होगी।

(2) आस्तियों का साल्वेज मूल्य (आईटी उपस्करों और साफ्टवेयर को छोड़कर) 10 प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और आस्ति के पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अवक्षयण अनुज्ञात किया जाएगा। आईटी उपस्करों और साफ्टवेयर के लिए साल्वेज मूल्य को शून्य समझा जाएगा और आस्ति का 100 प्रतिशत मूल्य अवक्षयणीय समझा जाएगा।

(3) भूमि अवक्षयणीय आस्ति नहीं होगी और इसकी लागत आस्ति के पूंजी लागत के अवक्षयणीय मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित की जाएगी।

(4) अवक्षयण, स्ट्रेट लाइन पद्धति और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट III में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा।

(5) पूर्णतया अवक्षयित आस्तियों को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

(6) उन आस्तियों, जो प्रयुक्त नहीं हैं, या अप्रचलित घोषित की गई हैं के मूल्य को अवक्षयण की संगणना के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से बाहर रखा जाएगा।

(7) 1.4.2019 को शेष अवक्षणीय मूल्य संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड की लेखा बहियों में प्रस्तुत आस्तियों के सकल अवक्षणीय मूल्य से संचयी अवक्षयण की कटौती करते हुए निकाला जाएगा।

(8) संबंधित आरएलडीसी के संबंध में आस्तियों के अवपूजीकरण के मामले, में संचयी अवक्षयण इसकी उपयोगी जीवन के दौरान अवपूजीगत आस्ति द्वारा टैरिफ में वसूल किए गए अवक्षयण को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा।

22. प्रचालन और रखरखाव खर्चे

(1) प्रचालन और रखरखाव खर्चे (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर), संपरीक्षित तुलन पत्रों के आधार पर वर्ष 2014-15 से 2018-19 वर्षों के लिए वास्तविक प्रचालन और रखरखाव खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किए जाएंगे। प्रचालन और रखरखाव खर्चे आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के बाद प्रसामान्य प्रचालन और रखरखाव खर्चे, दान, मालसूची में हानि, अवधि पूर्व समायोजन, बट्टेखाते डाले गए दावे तथा अग्रिम, प्रावधानों इत्यादि, यदि कोई हों, को छोड़कर सामान्यकृत किए जाएंगे।

(2) वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद सामान्यकृत प्रचालन और (रखरखाव खर्चों में)

क्रमशः 2018-19 के कीमत स्तर पर सामान्यकृत प्रचालन और रखरखाव खर्चों पर पहुँचने के लिए 4.77 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होगी और फिर 2018-19 के कीमत स्तर पर 2014-15 से 2018-19 के लिए सामान्यकृत औसत प्रचालन और रखरखाव खर्चों पर पहुँचने के लिए औसत होंगे। 2018-19 की कीमत स्तर के औसत सामान्यकृत प्रचालन और रखरखाव खर्चों में इस विनियम के खंड (4) के अनुसार निकाली गई वृद्धि दर पर वृद्धि होगी ताकि वर्ष 2019-20 के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चे निकाले जा सकें।

(3) वर्ष 2019-20 के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चों में इस विनियम के खंड 4 के अनुसार निकाली गई वार्षिक वृद्धि दर पर और वृद्धि होगी ताकि नियंत्रण अवधि के पश्चात् वर्षों के लिए अनुज्ञेय प्रचालन और रखरखाव खर्चे प्राप्त किए जा सकें।

(4) वृद्धि दर संयोजित वार्षिक विकास दर, मुद्रास्फीति दर, ओएंडएम खर्चों के सुव्यवस्थीकरण और अन्य घटकों, यदि कोई हों, पर विचार करते हुए निकाली जाएगी।

(5) प्रज्ञावान जांच के बाद स्काडा प्रणाली के वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) और अन्य सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर जैसे आरईएमसी, राष्ट्रीय निर्बाध पहुँच रजिस्ट्री (एनओएआर), वेब आधारित शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर आदि के लिए वास्तविक व्यय, महत्वपूर्ण व्यय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रचालन और रखरखाव खर्चे प्राप्त करने के लिए विचार किया जाएगा।

23. प्रचालन व्यय (ओपेक्स)

ओपेक्स में क्लाउड कम्प्यूटिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा सेंटर, बिग डेटा एनालिटिक्स टूलस, एडवांस्ड डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल (जीआईएस इंटरफेसिंग के साथ), सैटेलाइट सर्विसेज, वेदर डेटा सर्विसेज, वेबनेटयूज़, फोरकास्टिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस फीस, डीआईसी इत्यादि के ज्ञान उन्नयन या प्रशिक्षण के लिए टूल जैसी सेवाएं शामिल होंगी। एनएलडीसी ओपेक्स के तहत संबंधित डीआईसी द्वारा उपयोग के लिए, यदि आवश्यक हो, पारेषण लागत आवंटन के सॉफ्टवेयर की खरीद कर सकता है।

2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रज्ञावान जांच के बाद, ओपीईएक्स के तहत सलग्न सेवाओं के लिए वास्तविक व्यय पर विचार किया जाएगा।

24. मानव संसाधन खर्चे:

(1) मानव संसाधन खर्चे, संपरीक्षित तुलन पत्रों पर आधारित 2017-18 से 2018-19 वर्ष के लिए वास्तविक मानव संसाधन खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किए जाएंगे। मानव संसाधन खर्चे आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के बाद प्रसामान्य मानव संसाधन खर्चों एक्सग्रेशिया, वीआरएस व्यय, पीआरपी / प्रोत्साहन, अवधिपूर्व समायोजन, दावे और बट्टे खाते डाले गए दावे और अग्रिम, प्रावधान इत्यादि, यदि कोई हों, को अपवर्जित करते हुए सामान्यकृत किए जाएंगे।

(2) प्रमाणपत्र रिटेनर-शिप राशि के भुगतान की लागत मानव संसाधन व्यय का एक हिस्सा होगी।

(3) डीपीई/ अन्य उपयुक्त मार्गनिर्देशों के अनुसार संगणित कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन को इन विनियमों के विनियम 32 के अनुसार अनुज्ञात प्रोत्साहन से पूरा किया जाएगा।

परंतु यह कि डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार निष्पादन से संबंधित भुगतान के संदाय के बाद विनियम 32 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किए गए प्रोत्साहन में किसी भी अधिशेष के मामले में, डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार निष्पादन से संबंधित संदाय के लिए धन की कमी के मामले में इस तरह की अधिशेष राशि को बाद के वर्षों में उपयोग करने के लिए अलग से रखा जाएगा।

परंतु यह कि डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार निष्पादन संबंधी वेतन के वितरण के लिए विनियम 32 के अनुसार निधियों में कमी अभी भी बनी हुई है, तो यह कमी एलडीसी विकास निधि से पूरी की जाएगी।

(4) वर्ष 2017-18 से 2018-19 के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों में क्रमशः 4.77 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होगी ताकि 2018-19 के कीमत स्तर पर सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों पर पहुंचा जा सके और तब 2018-19 के कीमत स्तर पर वर्ष 2017-18 से 2018-19 के लिए सामान्यकृत औसत मानव संसाधन खर्चों पर पहुँचने के लिए औसत हों सकें।

- (5) वर्ष 2018-19 के दौरान अनुमोदित मानव शक्ति वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन खर्चों की संगणना के लिए आधार होगी। उसके बाद पश्चातवर्ती वर्षों के लिए, मानव संसाधन खर्चों में वार्षिक वृद्धि दर पर वृद्धि होगी।
- (6) वर्ष 2018-19 के कीमत स्तर के औसत सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों में वृद्धि, वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन खर्चों के लिए इस विनियम के खंड (8) के अनुसार निकाली गई वृद्धि दर पर होगी।
- (7) वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन खर्चों में नियंत्रण अवधि के पश्चातवर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चों पर पहुंचने के लिए इस विनियम के खंड (8) के अनुसार निकाली गई वार्षिक वृद्धि दर पर और वृद्धि की जाएगी:
- (8) वृद्धि दर, संयोजित वार्षिक विकास दर, मुद्रा स्फीति दर, मानव संसाधन एवं अन्य घटकों के सुव्यवस्थीकरण, यदि कोई है, पर विचार करते हुए निकाली जाएगी।
- (9) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष की मानव शक्ति में प्रत्याशित वृद्धि की लागत पर भी प्रज्ञावान जांच के बाद विचार किया जाएगा। एलडीसी के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक मानव शक्ति की फीस और प्रभारों को निर्दिष्ट करते हुए आयोग द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
- (10) एनएलडीसी या आरएलडीसी द्वारा किए गए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) व्यय, वित्त वर्ष 2019-20 से एचआर व्यय का एक हिस्सा होंगे। एनएलडीसी या आरएलडीसी के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के अलावा, अन्य हितधारकों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी एचआरडी व्यय का हिस्सा होंगे। उपरोक्त परिभाषित पद्धति के आधार पर अनुमानित वार्षिक एचआरडी व्यय एचआर व्ययों का कम से कम 5 प्रतिशत होगा। हालांकि, यदि मानव संसाधन विकास व्यय के लिए वास्तविक उपयोग किसी भी वर्ष के मानव संसाधन व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक है, तो इसे प्रज्ञावान जांच के पश्चात आयोग द्वारा टूटिंग अप के समय अनुमति दी जाएगी। 5 प्रतिशत से कम उपयोग के मामले में, यह वार्षिक टूटिंग अप के समय पर वापस कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुसार प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष न्यूनतम सात दिन का प्रशिक्षण दिया जाए।

25. कार्य पूंजी पर ब्याज

- (1) कार्य पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
- एक मास के लिए प्रचालन एवं रखरखाव खर्चों (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर)
 - एक मास के लिए मानव संसाधन विकास व्यय सहित मानव संसाधन व्यय;
 - एक मास के लिए एनएलडीसी प्रभार और निगमित कार्यालय; और
 - आयोग द्वारा विधिवत वार्षिक प्रभारों के 45 दिनों के समतुल्य प्राप्य।
- (2) कार्य पूंजी पर ब्याज दर मानकीय आधार पर होगी और 01.04.2019 को यथाविद्यमान टैरिफ विनियमों के अनुसार बैंक दर के रूप में मानी जाएगी।
- (3) कार्य पूंजी पर ब्याज इस बात के होते हुए भी मानकीय आधार पर संदाय होगा कि ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड ने किसी बाहरी एजेंसी से कार्य पूंजी के लिए कोई ऋण नहीं लिया है।

26. एनएलडीसी प्रभार और निगमित कार्यालय खर्च

- (1) लागू सीमा तक एनएलडीसी प्रभारों को, कार्य पूंजी पर ब्याज को छोड़कर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के वार्षिक प्रभारों की संगणना के लिए विनिर्दिष्ट पद्धति का अनुपालन करते हुए संगणित किया जाएगा।
- (2) उपगत वास्तविक खर्चों के अनुसार संगणित निगमित कार्यालय खर्चों को प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
- (3) फोल्ड सचिवालय को चलाने के लिए किए गए व्यय की गणना वास्तविक व्ययों के अनुसार की जाती है, जिसे प्रज्ञावान जांच के पश्चात आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
- (4) एनएलडीसी के सभी खर्चों और आयोग द्वारा अनुमोदित निगमित कार्यालय खर्चों को पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सीईए की वेबसाइट में यथानिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र में दी गई पीक मांग (मेगावाट में) के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में संविभाजित किया जाएगा।

बध्दाय-7

एलडीसी विकास निधि

27. एलडीसी विकास निधि

- (1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी, पूंजी व्यय को प्रशासित करने के लिए भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि (एलडीसीडी निधि) नामक पृथक निधि को सृजित तथा बनाए रखेगी।

(2) रिटर्न आन इक्विटी के मद्दे प्रभार, ऋण पर ब्याज, रजिस्ट्रीकृत फीस सहित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र एवं राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के अवक्षयण सांविधिक कर अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद एलडीसीडी निधि में जमा किए जाएंगे:

परंतु यह कि अल्पकालिक निर्बाध पहुँच प्रभार एवं आरएलडीसी या एनएलडीसी की अन्य आय, यदि कोई है, एलडीसीडी निधि का भाग नहीं होगी और इन विनियमों के विनियम -28 के अनुसार एक अलग खाते अर्थात् आकस्मिकता रिजर्व में जमा किया जाएगा।

(3) आरएलडीसी और एनएलडीसी निधि में जमा धन का उपयोग नई परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, ऋण चुकौती, ब्याज के रूप में जुटाई गई पूंजी और लाभांश संदाय के लिए 15.50 प्रतिशत तक सीमित पूंजी के संदाय के लिए, परिसंपत्ति निर्माण में निर्धारित इक्विटी हिस्से को पूरा करना, वित्तीय संस्थानों से ऋण जुटाने के लिए मार्जिन मनी, कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) / अन्य लागू सरकारी दिशानिर्देशों के समय-समय पर जारी किए गए और संशोधित संशोधनों के अनुपालन में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिर गतिविधियाँ, एसएलडीसी की क्षमता निर्माण और उप-एलडीसी कर्मियों और अन्य उपयोगकर्ताओं / हिस्सेदारी धारक, जिनमें शामिल हैं, लेकिन फोरम ऑफ लोड डिस्पैचर्स (फोल्ड) के मंच का उपयोग करने और / या क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों के माध्यम से, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी को निधि देने और तकनीकी कागजात के प्रकाशन के लिए सीमित नहीं है, उच्चतर शिक्षा की सुविधा, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संस्थागत सदस्यता प्राप्त करना और अनुसंधान और वित्त पोषण विकास (आरएंडडी) परियोजनाएं, नई तकनीक और बाजार के उत्पादों आदि को सीखने और लागू करने के लिए परामर्शी सेवा को काम पर रखने, जो आयोग की मंजूरी के अनुमोदन पर करने के अध्याधीन होंगे।

(4) एलडीसीडी निधि से फोल्ड की गतिविधियों में भागीदारी से संबंधित कोई अन्य आवर्ती या गैर-आवर्ती व्यय या सदस्यता फीस का एलडीसी समय पर संदाय सुनिश्चित करेगा। फोल्ड गतिविधियों पर खर्चों को पूरा करने के बाद, यदि कोई है, एनएलडीसी इस तरह की फीस को एलडीसीडी निधि में जमा करेगा।

(5) राजस्व व्यय सहित मानव संसाधन व्यय को पूरा करने में कोई कमी एलडीसीडी निधि से पूरी की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, भार प्रेषण केंद्र एलडीसीडी निधि से ब्याज मुक्त अग्रिम लेने का हकदार होगा, जिसे नियंत्रण अवधि 2019-24 की समाप्ति के बाद किए जाने वाले ड्रॉइंग अप के समय संबंधित शीर्ष के अधीन आयोग द्वारा अनुज्ञात व्यय से लिया जाएगा।

(6) पोसोको द्वारा एलडीसीडी फंड में जमा धन से बनाई गई किसी भी आस्ति को इन विनियमों में निर्दिष्ट दरों के अनुसार अवक्षयण की गणना के लिए विचार किया जाएगा। यदि आवश्यक है, तो पोसोको इक्विटी से आंशिक रूप से और आंशिक रूप से एलडीसीडी निधि से पूंजीगत आस्तियों को वित्तपोषित कर सकता है। जैसे, यदि पूंजी परियोजना को आंशिक रूप से इक्विटी शेयर पूंजी से वित्तपोषित किया जाता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की संगणना पर इसका विचार किया जाएगा, इस मामले में, जिसमें निधि पोषण शून्य के रूप में ऋण संघटक पर ब्याज सहित 70:30 के मानकीय ऋण इक्विटी अनुपात में माना जाएगा और इन विनियमों के विनियम 16 (2) के अनुसार इक्विटी का संयवहार माना जाएगा। भार प्रेषण केंद्र केपेक्स योजना में ऐसी आस्तियों का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(7) पोसोको एलडीसीडी निधि में संचित राशि को उन स्रोतों के ब्रेक-अप के साथ जमा करेगा जहां से निधि प्राप्त हुई है। पोसोको प्रत्येक वर्ष के अंत में पिछले वर्ष के दौरान एलडीसीडी निधि के उपयोग पर एक लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के साथ एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, उपयोग की मात्रा के साथ-साथ एलडीसीडी निधि के अप्रयुक्त भागों का भी विवरण होगा। आयोग, यदि आवश्यक हो, एलडीसीडी निधि के प्रभावी उपयोग के लिए आरएलडीसी और एनएलडीसी को निर्देश जारी कर सकता है। 2019-24 के दौरान पूंजीगत आस्तियों के वित्तपोषण के लिए, एलडीसीडी निधि से उपयोग किए गए धन को रिजर्व को वापस किए जाने वाले ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में माना जाएगा।

28. आकस्मिकता रिजर्व

(1) आरएलडीसी और एनएलडीसी अल्पकालिक निर्बाध पहुँच प्रभार तथा आरईसी प्रभारों आदि जैसी अन्य आय के लिए पृथक लेखा अर्थात् आकस्मिकता रिजर्व रखेगी।

(2) आरएलडीसी और एनएलडीसी ऐसी आय का उपयोग आयोग द्वारा अनुज्ञात वार्षिक प्रभारों में कमी की पूर्ति के लिए, यदि कोई है, या आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए जिसे फीस और प्रभारों के लिए आवेदन करते समय नहीं देखा गया था और दक्ष ऊर्जा प्रणाली प्रचालन के लिए आवश्यक समझा गया है, करेगी।

(3) शेष रकम, सांविधिक कर अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद एलडीसीडी निधि में जमा कराई जाएगी।

(4) कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं जिनके लिए आकस्मिक खर्चों के तहत उपलब्ध धन अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह की कमी एलडीसीडी निधि से पूरी की जा सकती है।

अध्याय-8

फीस और प्रभार की संगणना एवं बसूली

29. रजिस्ट्रीकरण फीस: फीस के लिए अनुसूचीकरण के आरंभ एवं प्रणाली प्रचालन के लिए ग्रिड पहुँच के आरंभ से पूर्व पावर एक्सचेंजों और विद्युत व्यापारियों सहित प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिदेय होगी। संदाय फीस निम्नानुसार है:

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ग्रिड पहुंच के आरंभ के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 लाख रुपये की एक बार रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगे।

परंतु यह कि संविधित आरएलडीसी को ग्रिड के साथ समक्रमिक पारेषण घटकों की अभिवृद्धियों के बारे में अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा और अतिरिक्त क्षमता टाईअप के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संबंधित आरएलडीसी द्वारा रिकार्ड को अद्यतन करने के प्रयोजन के लिए समय समय पर सूचित किया जाएगा।

(2) उत्पादन कंपनियों निम्नानुसार रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेंगी:

क. 10 मेगावाट संस्थापित क्षमता तक उत्पादन केन्द्र के लिए : 0.50 लाख रुपए;

ख. 10 मेगावाट से अन्यून तथा 100 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र: 1.0 लाख रुपए;

ग. 100 मेगावाट से अन्यून तथा 2000 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र: 5.0 लाख रुपए; और

घ. 2000 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र: 10.0 लाख रुपए;

ड. परंतु यह कि, उत्पादन केन्द्र या उसके चरण की समग्र क्षमता पर, जिसका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और उर्जा लेखा पृथक रूप में किया गया है, आरंभिक रजिस्ट्रीकरण के समय पर रजिस्ट्रीकरण फीस के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

च. परंतु यह और कि उत्पादन कंपनियों उत्पादन केन्द्र या उसके चरण के मामले में कमीशन की गई अतिरिक्त क्षमता के बारे में संबंधित आरएलडीसी को सूचित करेंगी।

(3) अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता और क्रेता बाजार प्रचालन के अनुसूचीकरण को आरंभ करने के लिए आवेदन आवेदन पत्र के साथ 10000/- रुपए (दस हजार रुपए मात्र) की एक बार रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेंगे।

(4) पावर एक्सचेंज एक बार एनएलडीसी के रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में 20.0 लाख (बीस लाख रुपए) का संदाय करेंगे।

(5) इन विनियमों के 3 (38) में परिभाषित सभी अन्य उपयोक्ता ग्रिड का उपयोग प्रारम्भ करने के लिए आवेदन (संदर्भित परिशिष्ट- IV) के साथ एक बार 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) के रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

30. मासिक एलडीसी प्रभार: मासिक एलडीसी प्रभारों की संगणना अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन केन्द्रों, विक्रेताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों एवं क्रेताओं के लिए निम्नानुसार की जाएगी।

(क) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए एलडीसी प्रभार अनुज्ञात वार्षिक प्रभार (1/3) के आधार पर अवधारित किए जाएंगे और इन्हें अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के स्वामित्वाधीन लाइनों के सर्किट किलोमीटर (सीकेटी-केएम) के आधार पर निकाला जाएगा:

(ख) अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्र एवं विक्रेताओं के लिए एलडीसी प्रभार वार्षिक एलडीसी प्रभार के (1/3) के आधार पर अवधारित किए जाएंगे और इन्हें विक्रेताओं के मामले में दीर्घकालिक तथा/या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता के आधार पर तथा उत्पादन केन्द्र के मामले में संस्थापित क्षमता के आधार पर निकाला जाएगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं के लिए एलडीसी प्रभारों को वार्षिक प्रभारों के (1/3) के आधार पर अवधारित किया जाएगा और इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में कुल आवंटित क्षमता/ या संविदात्मक क्षमताओं के आधार पर एवं क्रेता के मामले में दीर्घकालिक और/या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता के आधार पर निकाला जाएगा।

31. एलडीसी प्रभारों का भुगतान और संगणना:

(1) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए एलडीसी प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मासिक आधार पर वसूल की जाएंगी:

मासिक एलडीसी प्रभार दर(पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए) = (1/3) [एएलसी/ (सीकेटी_केएम)]/12 रुपये / किलोमीटर में

जहां,

एएलसी = अध्याय 5 और 6 के अनुसार अनुमोदित एलडीसी प्रभार;

सीकेटी-केएम = बिलिंग के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को कुल अंतरराज्यिक पारेषण लाइनों की लंबाई ; (निकटतम दो दशमलव अंको तक);

(2) वैयक्तिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए मासिक एलडीसी प्रभारों को उक्त अवधारित दरों के आधार पर संगणित किया जाएगा और संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा प्रचालित पारेषण लाइनों की लंबाई (सीकेटी-केएम) में संगणित की जाएगी।

(3) उत्पादन कंपनियों और विक्रेताओं के लिए एलडीसी प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मासिक आधार पर वसूल की जाएगी।

मासिक एलडीसी प्रभार दर (उत्पादन या विक्रेता के लिए) = (1/3) (एएलसी / (क्षमता)) / 12 रुपये / मेगावाट में

जहां,

एएलसी = अध्याय 5 और 6 के अनुसार अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार;

क्षमता = उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट में) और विक्रेताओं की संविदात्मक क्षमता (मेगावाट में) (निकटतम दो दशमलव अंकों तक) जिनका अनुसूचीकरण और ऊर्जा लेखा बिलिंग के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को संबंधित आरएलडीसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है;

(4) उत्पादन कंपनियों या विक्रेताओं के लिए मासिक एलडीसी प्रभारों को उक्त निर्धारित दरों के और उत्पादन केन्द्र या विक्रेताओं की संबंधित क्षमता के आधार पर संगणित की जाएगी।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा क्रेताओं के लिए एलडीसी प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार कुल संविदात्मक क्षमता को ध्यान में रखने के बाद मासिक आधार पर वसूल की जाएगी:

मासिक एलडीसी प्रभार दर (वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विक्रेता के लिए) = (1/3) (एएलसी/ (क्षमता)) / 12 रुपये / मेगावाट में

जहां,

एएलसी = अध्याय 5 और 6 के अनुसार अनुमोदित वार्षिक एलडीसी प्रभार;

क्षमता = वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं द्वारा कुल दीर्घकालिक या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता जिसका अनुसूचीकरण और लेखा बिलिंग (निकटतम दो दशमलव अंकों तक) के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को संबंधित आरएलडीसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है;

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा क्रेताओं से मासिक एलडीसी प्रभारों को बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन को उनके, यथास्थिति, आवंटनों तथा संविदात्मक क्षमताओं की धनराशि के अनुपात में संगृहीत किए जाएंगे।

(7) एनआईएल संविदात्मक क्षमता वाले सभी अन्य उपयोक्ताओं (एलटीए एंड एमटीओए) को न्यूनतम क्षमता के आधार पर मासिक एलडीसी प्रभार देना होगा, जिसके लिए एक इकाई सीईआरसी संबद्धता विनियम 2009 के अनुसार अंतर राज्यिक पारेषण प्रणाली को संबद्धता देने के लिए पात्र है।

(8) संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी), राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और अन्य आरएलडीसी उपयोक्ताओं से संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) को संदाय के लिए मासिक एलडीसी प्रभारों के संग्रहण के लिए नोडल एजेंसी होगी। मासिक एलडीसी प्रभारों को वसूलने के बाद संबंधित एसएलडीसी संबंधित आरएलडीसी के खाते में उसे जमा करेगा। राज्य के आरएलडीसी उपयोक्ताओं को संबंधित आरएलडीसी के खाते में मासिक आरएलडीसी प्रभार का सीधे संदाय करने का विकल्प देना होगा या वे संबंधित एसएलडीसी के माध्यम से संदाय करने का विकल्प चुन सकते हैं।

अध्याय-9

कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

32. आरएलडीसी और एनएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

(1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रोत्साहन की वसूली परिशिष्ट- V में या आयोग द्वारा विहित ऐसे अन्य पैरामीटरों में यथाविनिर्दिष्ट प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक की उपलब्धि पर आधारित होगी।

(2) प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र परिशिष्ट- V में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार वार्षिक आधार पर आयोग को प्रत्येक प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों के लिए इसके वार्षिक कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करेगा।

(3) एनएलडीसी, आयोग के अनुमोदन के लिए पद्धति सहित परिशिष्ट v में विनिर्दिष्ट फार्मेट के प्रत्येक प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(4) आयोग परिशिष्ट v में विनिर्दिष्ट भारत के आधार पर, यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी, के समुच्चय कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगा।

(5) यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी 90 प्रतिशत के कुल कार्यनिष्पादन स्तर के लिए वार्षिक प्रभार के 15 प्रतिशत के प्रोत्साहन को वसूल करना अनुज्ञात किया जाएगा। 90 प्रतिशत से ऊपर निष्पादन स्तर के प्रत्येक 5 प्रतिशत वृद्धि के लिए प्रोत्साहन समानुपातिक

आधार पर 1 प्रतिशत बढ़ेगा: प्रोत्साहन डीपीई कार्यालय जापान संख्या डब्ल्यू-02/0028/2017- डीपीई (डब्ल्यूसी-जीएल)- XIII/ 17 दिनांक 3.8.2017 के अनुसार कैप किया जाएगा।

परंतु यह कि प्रोत्साहन में, 90 प्रतिशत के नीचे कार्यनिष्पादन की प्रत्येक 1 प्रतिशत कमी के लिए समानुपातिक रूप में वार्षिक प्रभारों के 3 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी।

(6) आरएलडीसी या एनएलडीसी, 31 मार्च को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों को संगणित करेंगे और इन विनियमों के परिशिष्ट-V के अनुसार आयोग के अनुमोदन के लिए याचिकाओं के साथ आयोग को प्रस्तुत करेंगे:

(7) 31 मार्च को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों को प्रत्येक वर्ष को प्रोत्साहन वसूल करने के लिए विचार किया जाएगा और नियंत्रण अवधि के अंत में टू-अप किया जाएगा।

33. आरएलडीसी और एनएलडीसी के कर्मचारियों को प्रमाणपत्र रिटेनर-शिप राशि

(1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र कर्मचारियों को, जो अपने संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्रों में बुनियादी स्तर और विशेषज्ञता स्तर और प्रबंधन स्तर का प्रमाण- पत्र अर्जित करते हैं को निम्नलिखित पैरामीटरों के अनुसार इस प्रकार के प्रमाणपत्र की वैधता के दौरान नियत रिटेनर-शिप राशि की अनुमति होगी:

क्र. सं.	प्रमाणन स्तर	रिटेनर-शिप राशि (प्रति माह रुपये में)
1	बुनियादी स्तर	7500
2	विशेषज्ञता स्तर	10000
3	प्रबंधन	12000

(2) एक व्यक्ति जो एक बुनियादी स्तर और एक से अधिक विशेषज्ञ और / या प्रबंधन स्तर का प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, वह उच्चतम लागू स्लैब में रखी अधिकतम रिटेनर शिप राशि के लिए हकदार होगा। उदाहरण के लिए, मूल और विशेषज्ञ प्रमाणपत्र दोनों वाले व्यक्ति अधिकतम रिटेनर शिप राशि 10,000 / - प्रति माह के लिए हकदार होंगे। इसी तरह, प्रमाणपत्रों के सभी तीन स्तरों वाले व्यक्ति अधिकतम रिटेनर शिप राशि 12,000 / - प्रति माह के लिए हकदार होंगे।

(3) एलडीसीडी निधि से निम्नलिखित के लिए निधिकरण की जाएगी (i) मूल, विशेषज्ञ और प्रबंधन स्तर की परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए रजिस्ट्रीकरण और / या आवेदन फीस का भुगतान, (ii) इन परीक्षाओं के प्रशिक्षण खर्चों के लिए संदाय, (iii) प्रमाणित एलडीसी कर्मियों को प्रमाणन रिटेनर शिप राशि के संदाय। पोसोको इन विनियमों के जारी होने के 2 महीने के भीतर आयोग की मंजूरी के लिए प्रमाणपत्र रिटेनर-शिप के संदाय की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत करेगा।

(4) प्रमाणपत्र रिटेनर-शिप राशि विनियम 32 में यथाविनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगी।

अध्याय 10

बिलिंग एवं अन्य प्रकीर्ण उपबंध

34. बिलिंग एवं प्रभारों का भुगतान

(1) बिलों को इन विनियमों के अनुसार ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मासिक आधार पर एलडीसी प्रभार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और भुगतान प्रयोक्ताओं द्वारा सीधे ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।

(2) आरएलडीसी/एनएलडीसी फीस एवं प्रभारों के भुगतान में लगातार चूक आयोग के नोटिस में लाई जाएगी।

35. विलंब से भुगतान पर अधिभार: यदि इन विनियमों के अंतर्गत संदाय प्रभारों के लिए किसी बिल के भुगतान में विलंब की तारीख से 45 दिनों की अवधि के आगे प्रयोक्ता द्वारा विलंब होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमास की दर पर विलंब भुगतान पर अधिभार प्रयोक्ताओं से वसूल किया जाएगा।

36. हेजिंग की लागत या विदेशी विनियम दर फेरफार की वसूली: हेजिंग की लागत या विदेशी विनियम दर फेरफार की वसूली आयोग के समक्ष किसी आवेदन के बिना प्रयोक्ताओं से आरएलडीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी:

परंतु यह कि हेजिंग की लागत या विदेशी विनियम दर फेरफार के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा किसी आपत्ति की स्थिति में आरएलडीसी निर्णय के लिए आयोग के समक्ष समुचित आवेदन कर सकता है।

37. छूट

(1) बिलों के जारी होने की तारीख से पांचवें दिन तक (अर्थात् टी+5 दिन) (जहां टी बिल जारी होने की तारीख है) तक आरटीजीएस,

एनईएफटी, साखपत्रया चैक के माध्यम से चुकाई गई सकल बिल रकम पर आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा 1.5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

(2) एक प्रतिशत की छूट की तब अनुज्ञात होगी जब भुगतान, बिल के जारी होने से टी+6 से टी+30 दिनों तक किया गया हो।

(3) बिलों के जारी होने की तारीख से टी+31 दिनों से टी+45 दिनों तक किए गए भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

38. विवाद समाधान: विवाद के मामले में, कोई पक्षकार विवाद के निपटान के लिए उसके सांविधिक पुनार्धिविनियम सहित समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999, के अनुसार आवेदन कर सकता है:

39. शिथिल करने की शक्ति: लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, आयोग स्वयं या एनएलडीसी या आरएलडीसी या प्रयोक्ताओं द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन पर ऐसे शिथिलीकरण से प्रभावित होने के लिए संभावित व्यक्तियों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

40. कठिनाई को दूर करना: यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकता है जो अधिनियम या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियम के उपबंधों के असंगत न हों तथा इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत हों।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./51/19]

परिशिष्ट

टैरिफ फाइल करने के प्ररूप (एनएलडीसी/आरएलडीसी)

परिशिष्ट -I

अनुक्रमणिका

एनएलडीसी/आरएलडीसी के लिए टैरिफ फाइल करने प्ररूप और अन्य जानकारी/दस्तावेजों की जांच-सूची

प्ररूप संख्या	टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (आरएलडीसी)	टिक
प्ररूप -1	सारांश शीट	
प्ररूप -2	रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए संगणना	
प्ररूप -3 क	वित्तीय पैकेज	
प्ररूप-3 ख	पूंजी लागत का विवरण	
प्ररूप-3 ग	अतिरिक्त पंजीकरण का वित्तपोषण	
प्ररूप-4 क	मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-4 ख	वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना	
प्ररूप-4 ग	विदेशी ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-4 घ	विभिन्न आरएलडीसी को कॉरपोरेट ऋण के आबंटन के ब्यौरे	
प्ररूप-5 क	अवक्षयण का विवरण	
प्ररूप-5 ख	अवक्षयण दर की संगणना	
प्ररूप-6 क	प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों, मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे	
प्ररूप-6 ख	मानव संसाधन खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप-6 ग	मरम्मत तथा रखरखाव खर्चों के ब्यौरे	

प्ररूप-6 घ	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप-7	प्रचालन व्यय के ब्यौरे (ओपेक्स)	
प्ररूप-8	कार्य पूंजी पर ब्याज	
प्ररूप-9	एलडीसी विकास निधि का वर्षवार विवरण (प्रोजेक्टिड)	
प्ररूप-10	अन्य आय	

अन्य जानकारी/दस्तावेज		
क्र.स.	जानकारी/दस्तावेज	टिक
1	आरएलडीसी और एनएलडीसी/निगमित कार्यालय के लिए सभी अनुसूचियों और अनुबंध सहित संपरीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते।	
2	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियां	
3	(क) पूंजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां (ख) बोर्ड के अनुमोदन, प्राक्कलित पूंजी लागत और औचित्य सहित केपेक्स एवं रेपेक्स योजना।	
4	(क) विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां, यदि कोई हो। (ख) बोर्ड के अनुमोदन सहित एलडीसी विकास निधि से ईक्विटी अंशदान	
5	कोई अन्य सुसंगत जानकारी (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण 1.- याचिका की इलेक्ट्रॉनिक प्रति (वर्ड्स फारमेट में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट में) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

प्ररूप-1

सारांश शीट

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम: _____

(रुपए लाख में)

क्र.स.	विशिष्टियां	प्ररूप नं.	वर्तमान 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2		3	4	5	6	7	8
1	रिटर्न आन ईक्विटी ¹							
2	ऋण पूंजी पर ब्याज							
3	अवक्षयण							
4	प्रचालन और रख-रखाव खर्च, मानव संसाधन							

	को छोड़कर						
5	एचआरडी सहित मानव संसाधन खर्च						
6	ओपेक्स						
7	एनएलडीसी*/आरएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्च (के अनुसार लागू)						
8	कार्य पूंजी पर ब्याज						
	कुल						

1 संगणना के ब्यौरे विनिमय के अनुसार विचार की गई इक्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं।

* एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्च आरएलडीसी के लिए लागू है

(याचिकाकर्ता)

प्ररूप-2

रिटर्न आन ईक्विटी के लिए संगणना

एनएनडीसी/आरएलडीसी का नाम:

क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र

मार्च में समाप्त होने वाला वर्ष

विशिष्टियां	यूनिट	विद्यमान 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
ईक्विटी पर रिटर्न की आधार दर	%						
कर दर	%						
ईक्विटी पर रिटर्न के लिए ब्योरवार संगणना							
विशिष्टियां	यूनिट	विद्यमान 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आरएलडीसी आस्तियों के लिए 1.4.2019 को सकल ईक्विटी							
कैम्प जोड़े 2019-20 (वर्ष के दौरान औसत ईक्विटी)							
कैम्प जोड़े 2020-21 (वर्ष के दौरान औसत ईक्विटी)							
कैम्प जोड़े 2021-22 (वर्ष के दौरान औसत ईक्विटी)							
कैम्प जोड़े 2022-23 (वर्ष के दौरान औसत ईक्विटी)							
कैम्प जोड़े 2023-24 (वर्ष के दौरान औसत ईक्विटी)							

कुल ईक्विटी							
ईक्विटी पर रिटर्न की दर							
रिटर्न आन ईक्विटी							

टिप्पण : प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागू आयकर दर, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार दरों पर आधारित है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-3क

वित्तीय पैकेज

एलडीसी का नाम: _____

1.4.2019 को परियोजना लागत: _____

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख: _____

(लाख रुपए में)

	विधिवत वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख /1.4.2019 को वित्तीय पैकेज		1.4.2019 को यथास्वीकृत	
	मुद्रा और रकम ³		मुद्रा और रकम ³		मुद्रा और रकम ³	
1	2	3	4	5	6	7
ऋण -I						
ऋण -II						
ऋण -III						
और उससे आगे						
इक्विटी-						
विदेशी						
घरेलू						
कुल इक्विटी						
उधार :						
इक्विटी अनुपात						

याचिकाकर्ता

प्ररूप-3ख

पूंजी लागत का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम :

(लाख रुपए में)

		सुसंगत तारीख को ¹
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त अ (क) में पूंजी दायित्वों की रकम	

ऋण -3 और उससे आगे									
कुल ऋण 2									
ईक्रिटी									
आंतरिक संसाधन									
अन्य									
कुल									

1 वर्ष 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-4क

(रुपए लाखों में)

मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना						
एलडीसी का नाम:						
विशिष्टियां	विद्यमान 2018-19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24
1	2	3	4	5	6	7
सकल मानकीय ऋण- आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
शुद्ध मानकीय ऋण - आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋणों का प्रतिसंदाय						
शुद्ध मानकीय ऋण - अंतिम						
औसत मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

प्ररूप-4ख

वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना ¹

एलडीसी का नाम: _____

(रुपए लाखों में)

क्र.स.	विशिष्टियां	वर्तमान 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
	ऋण -1						
	सकल ऋण- आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण-आरंभिक						
	जोड़े: वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं: वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण- अंतिम						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
	ऋण -2 ...						
	ऋण -3 और उससे आगे						
	कुल ऋण						
	सकल ऋण- आरंभिक						
	पिछले वर्षों तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण-आरंभिक						
	जोड़े: वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं: वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण- अंतिम						
	औसत शुद्ध ऋण						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर						

ख	हेजिंग की दशा में [3]								
1	हेजिंग की तारीख पर								
2	हेजिंग की अवधि								
3	हेजिंग की लागत								

याचिकाकर्ता

प्रारूप-5क

अवक्षयण का विवरण

एलडीसी का नाम:

(रुपए लाखों में)

वित्तीय वर्ष	विद्यमान 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	11	12	13	14	15
पूंजी लागत का अवक्षयण						
वर्ष के दौरान वसूल किया गया अवक्षयण						
अवपूंजीकरण या आस्तियों को बट्टेखाते डालने के कारण कटौती किया गया संचयी अवक्षयण						
संचयी अवक्षयण एवं वर्ष तक वसूल किया गए अवक्षयण पर अग्रिम						

याचिकाकर्ता

प्रारूप-5ख

अवक्षयण दर की संगणना

एलडीसी का नाम:

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	आस्तियों के नाम ¹	31.03.2019 को सकल बलॉक जो भी बाद में हो और तदन्तर 31.3.2024 तक उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए	केविआ की अवक्षयण दर अनुसूची के अनुसार अवक्षयण दर	31.03.2024 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण रकम
	1	2	3	4= स्तंभ 2x3
1	भूमि (फ्रीहोल्ड, पट्टे पर लिया गया)			

2	भवन तथा सिविल संकर्म			
3	गौन ऊर्जा प्रदाय प्रणाली			
4	कार्यालय फर्निचर एवं साज सज्जा			
5	संचार उपस्कर			
6	परीक्षण उपस्कर और पुर्जों के साथ स्काडा हार्डवेयर			
7	आईसीटी उपस्कर			
8	सॉफ्टवेयर			
9	कुल			
	अवक्षयण की भारित औसत दर (%)			

1 आस्तियों के नाम अधिसूचना से संलग्न अवक्षयण अनुसूची में उल्लिखित आस्तियों के वितरण के अनुसार होंगे।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-6क

प्रचालन तथा रखरखाव खर्चें मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर के ब्यौरे

एलडीसी का नाम:

(रुपए लाखों में)

	मदें	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	1	2	3	4	5	6
1	मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें					
2	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चें, आदि					
3	कुल					

टिप्पण:

1. संलग्न प्ररूपों के अनुसार इन व्ययों के ब्यौरे
2. एलडीसी [...] के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-6ख

एलडीसी का नाम:

मानव संसाधन खर्चों के ब्यौरे

अवधि -	1	पूर्व पांच वर्षों के लिए वास्तविक
	2	चालू वर्ष के पहले छह मास के लिए वास्तविक
	3	चालू वर्ष के अंतिम छह मास के लिए प्रत्याशित
	4	आगामी वर्ष के लिए प्रत्याशित

क्र.सं.	लेखा कोड	विशिष्टियां	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कुल
1	कर्मचारियों की संख्या				
2	वेतन				
3	अतिकाल भत्ता				
4	महंगाई भत्ता				
5	अन्य भत्ता				
6	बोनस				
7	उत्पादकता लिंकड प्रोत्साहन				
8	उप योग (1 से 6)				
	अन्य कर्मचारिवृंद लागत				
8	चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति				
9	छुट्टी यात्रा रियायत				
10	मकान किराए की प्रतिपूर्ति				
11	कर्मचारिवृंद को अंतिम राहत				
12	अर्जित छुट्टी का भुनाना				
13	मानदेय				
14	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन संदाय				
15	एक्स-ग्रेसिया				
16	वीआरएस पर व्यय				
17	उप योग (8 से 16 तक)				
18	कर्मचारिवृंद कल्याण खर्चें				
19	टर्मिनल फायदे				
20	प्रावधान				
21	अन्य(विनिर्दिष्ट करें)				
22	मानव संसाधन विकास				
23	कुल (7+17+18+19+20+21+22)				
	वसूला गया राजस्व, यदि कोई हो				
24	वसूला गया राजस्व, यदि कोई हो				
25	शुद्ध योग (23-24)				

अतिरिक्त जानकारी							
1	को कर्मचारियों की संख्या :						
	i) कार्यपालक						
	ii) गैर-कार्यपालक						
	iii) कुशल						
	iv) गैर कुशल						
	कुल						
2	निम्नलिखित के अनुसार कर्मचारियों की संख्या						
	i) संचालित मेगावाट						
	ii) संचालित एमकेडब्ल्यूएच						

I)	दिए गए शीर्ष के अधीन एचआर व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि को समुचित औचित्य सहित वर्णन किया जाना चाहिए।
II)	आंकड़े संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर होने चाहिए।
III)	पूर्व अवधि से संबंधित बकायों के ब्यौरे यदि कोई हो, पृथक् रूप से दर्शित किए जाने चाहिए।
IV)	प्रत्येक वर्ष के दौरान वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की संख्या को उपदर्शित किया जाना चाहिए।
V)	असामान्य खर्चा के ब्यौरों को, यदि कोई हो, पृथक् रूप से दर्शित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-6ग

मरम्मत और रखरखाव खर्चों के ब्यौरे

एलडीसी का नाम:

क. मरम्मत एवं रखरखाव खर्चों (वास्तविक)

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	विवरणियां	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वित्तीय वर्ष			आगामी वर्ष के लिए प्राङ्गलन
			पहले छह मास के लिए वास्तविक	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल लिए	
1	भंडार तथा पुर्जों की खपत					
2	भंडार तथा पुर्जों की हानि					
3	संयंत्र तथा मशीनरी मरम्मत तथा रखरखाव					

4	सिविल संकर्म मरम्मत तथा रखरखाव					
5	वार्षिक रखरखाव संविदा(4क+4ख+4ग)					
5क	- संयंत्र तथा मशीनरी					
5ख	- सिविल मरम्मत तथा रखरखाव					
5ग	- अन्य					
6	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					
7	कुल (1+2+3+4+5+6)					
8	राजस्व वसूलियां, यदि कोई हो					
9	शुद्ध योग (7-8)					

ख. मरम्मत तथा रखरखाव खर्च (विनियम के अनुसार)

(रुपए लाखों में)

विशिष्टियां	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के 1 अप्रैल को स्वीकृत पूंजी					
मरम्मत तथा रखरखाव खर्च					
पूंजी लागत की प्रतिशतता के रूप में मरम्मत तथा रखरखाव खर्च					

याचिकाकर्ता

प्ररूप-6घ

प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के व्यौरे

क्र.स.	विवरण	पूर्व पांच वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक (रुपए लाखों में)	चालू वित्तीय वर्ष (रुपए लाखों में)			आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलन (रुपए लाखों में)
			पहले छह मास के लिए वास्तविक	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल	
	संपत्ति से संबंधित खर्च					
1	अनुज्ञप्ति फीस					
2	किराया					

3	रेट्स तथा कर					
4	बीमा					
5	दुर्घटना आरक्षित निधि में अंशदान					
6	उप जोड़:					
	संचार					
7	टेलीफोन तथा ट्रंककाल					
8	पोस्टेज एवं टेलीग्राम					
9	टैलेक्स, टेलीप्रिंटर प्रभार तथा टेली फैक्स					
10	कूरियर प्रभार					
11	अन्य					
12	उप जोड़:					
	वृत्तिक प्रभार					
13	विधिक खर्चे					
14	परामर्शी प्रभार					
15	तकनीकी फीस					
16	संपरीक्षा फीस					
17	अन्य प्रभार					
18	उप जोड़:					
	सवारी तथा यात्रा					
19	सवारी खर्चे					
20	यात्रा खर्चे					
21	वाहन किराया प्रभार					
22	अन्य					
23	उप जोड़:					
	अन्य खर्चे					
24	विद्युत प्रभार					
25	फीस तथा अंशदान					
26	पुस्तकें तथा आवधिक पत्रिकाएं					
27	मुद्रण तथा स्टेशनरी					
28	विज्ञापन					
29	सनोरंजन					
30	देखरेख					

31	प्रकीर्ण					
32	संगठनात्मक विकास खर्चे					
33	संदान					
34	उप जोड़:					
	सामग्री संबद्ध खर्चे					
35	डेमरेज तथा घाट सामग्री					
36	सफाई प्रभार					
37	परिवहन बीमा					
38	उप जोड़:					
39	अन्य (विनिर्दिष्ट करे)					
40	कुल (6+12+18+23+34+3 8+39)					
41	राजस्व वसूलियां यदि कोई हो					
42	शुद्ध जोड़ (40-41)					

याचिकाकर्ता

प्ररूप-7

ओपेक्स के न्यौरे

एलडीसी का नाम/

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	कुल					

याचिकाकर्ता

प्ररूप -8

कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना

एलडीसी का नाम/

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ओएंडएम खर्चे मानव संसाधन को छोड़कर						
2	मानव संसाधन खर्चे						
3	एनएलडीसी प्रभार (केवल आरएलडीसी के लिए लागू) या आरएलडीसी प्रभार (केवल एसएलडीसी के लिए लागू)						
4	प्राप्य						
5	कुल कार्यकरण पूंजी						
6	ब्याज की दर						
7	कार्यकरण पूंजी पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

प्ररूप 9

एलडीसी विकास निधि (प्रक्षेपित)

एलडीसी का नाम: _____

(रुपए लाखों में) विशिष्टियां	विद्यमान 2018-19	2019- 20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
एलडीसी विकास निधि का आरंभ करना-प्रारंभिक						
वर्ष के दौरान एलडीसी विकास निधि में वृद्धियां						
कुल एलडीसी विकास निधि						
घटाएं : पूंजी व्यय के लिए उपयोग						
घटाएं : राजस्व व्यय के लिए उपयोग						

वर्ष के 31 मार्च को शुद्ध एलडीसी विकास निधि						
वर्ष के दौरान संचित औसत निधि						

टिप्पण : वृद्धियों और उपयोग का ब्यौरा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग शीट में दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता

प्ररूप 10

अन्य आय

एलडीसी का नाम: _____

(रुपए लाखों में) विशिष्टियां	31.3.2019 को	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
अन्य आय - प्रारंभिक						
जोड़े : अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभार						
जोड़े : आरईसी आय से आबंटन						
जोड़े :...						
जोड़े :...						
वर्ष के दौरान सकल आय						
घटाएं : कमियों को पूरा करने के लिए उपयोग						
घटाएं : ...के लिए उपयोग						
उससे आगे						
...						
31 मार्च को शुद्ध आय						

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट -II

[विनियम 6 के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु]

आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता)

1. ऊपर नामित आवेदक ने फीस और प्रभारों के निश्चरण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, [स्थान] के समक्ष आवेदन किया है (आवेदक का नाम दें)।

2. [.....]एलडीसी के उपयोक्ता निम्नलिखित है:

क.

ख.

1. टैरिफ के ब्यौरे (लागू भाग को ही प्रकाशित करें):

(रुपए लाख में)

	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ	अवधारित किए जाने के लिए वर्ष वार टैरिफ					
		पूर्व वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
[.....]एलडीसी							

2. टैरिफ के अवधारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति वेबसाइट (यहां वेबसाइट का पता दें) पर रख दी गई है।
3. आवेदन में अंतर्विष्ट टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव संबंधी सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आवेदक को उसकी प्रति देते हुए, किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, [पता] के समक्ष फाइल की जा सकेगी।

स्थान _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट -III

अवक्षयण अनुसूची

क्र.सं.	आस्ति की विशिष्टियां	अवक्षयण दर
क	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	0.00%
ख	पट्टे पर ली गई भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	स्थल क्लीरिंग की लागत के लिए	3.34%
ग	<u>अन्य आस्तियां</u>	
क	भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग संकर्म	
(i)	कार्यालय एवं आवास क्षेत्र	[3.34%]
(ii)	अंतर्विष्ट संयंत्र तथा उपस्कर	3.34%
(iii)	लकड़ी से बने अस्थाई खड़ी संरचना	[100.00%]
(iv)	कच्ची सड़क से भिन्न सड़कें	[3.34%]

(v)	अन्य	[3.34]%
ख	ट्रांसफार्मर्स, कियोस्क उपस्टेशन एवं अन्य नियत उपस्कर (संयंत्र नींव सहित)	
(i)	ट्रांसफार्मर्स नींव सहित 100 कि वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
ग	सोलर पैनल/विंड मिल	5.28%
घ	लाइटनिंग अरेस्टर	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेसर	5.28%
ङ	बैटरियां	15.00%
(i)	ज्वाइंट बॉक्स तथा डिस्कनेक्टेड बाक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डकट प्रणाली	3.34%
च	केबल सपोर्ट सिस्टम सहित ओवर हेड लाइन	
(i)	66 के वी से अधिक, टर्मिनल, वोल्टेज पर फैब्रिकेटेड स्टील प्रचालन पर लाईन	3.34%
(ii)	13.2 कि वाट से अधिक, लेकिन 66 किलोवाट से अधिक नहीं, टर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	5.28%
(iii)	स्टील या इन्फोर्सड कंक्रीट सपोर्ट्स लाईनें	5.28%
(iv)	शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाईने	5.28%
छ	मीटर	5.28%
ज	सेल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल	9.50%
झ	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्टेटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
ञ (i)	कार्यालय फर्नीचर एवं साज सजा	6.33%
(ii)	कार्यालय उपस्कर	6.33%
(iii)	फिटिंग एवं साधित्रों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइट की फिटिंगे	5.28%

ट	किराए पर लिए गए उपस्कर	
(i)	मोटर के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
ठ	संचार उपस्कर	
(i)	रेडियो एवं उच्च वारम्बारता कैरियर प्रणाली	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाईन एवं टेलीफोन	6.33%
ड	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर	
		15.00%
ढ	साफ्टवेयर	
		15.00%
ण	कोई अन्य आस्ति जो उपरोक्त सम्मिलित नहीं है	
		5.28%

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट-IV

(विनियम 4 के अनुपालन में)

1. इकाई का नाम (बड़े अक्षरों में):

2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

3. वह क्षेत्र जिसमें रजिस्ट्रीकरण की मांग की गई है:

- i. उत्तर-पूर्वी
- ii. उत्तर
- iii. पूर्व
- iv. पश्चिम
- v. दक्षिण

4. उपयोक्ता प्रवर्ग:

- i. उत्पादन केन्द्र
- ii. विक्रेता
- iii. क्रेता
- iv. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
- v. वितरण अनुज्ञप्तिधारी
- vi. व्यापार अनुज्ञप्तिधारी
- vii. पावर एक्सचेंज
- viii. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
- ix. क्यूसीए / समूहक

x. अन्य

5. उपयोक्ता ब्यौरे (अंतिम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को):

i. प्रवर्ग - उत्पादन केन्द्र

- i. कुल संस्थापित क्षमता
- ii. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
- iii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थान:

क्र.स	प्वाइंट आफ कनेक्शन	वोल्टेज स्तर (केवी)	इस अवस्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों (मुख्य) की संख्या

ii. प्रवर्ग - विक्रेता/क्रेता/वितरण अनुज्ञप्तिधारी

- i. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
- ii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थान:

क्र.स	प्वाइंट आफ कनेक्शन	वोल्टेज स्तर (केवी)	इस अवस्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों (मुख्य) की संख्या

iii. प्रवर्ग - पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (अंतरराज्यिक)

- i. सब स्टेशन:

क्र.स.	उपकेन्द्र का नाम	ट्रांसफार्मर की संख्या	कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता या डिजाईन एमवीए संचालन क्षमता यदि स्वीचिंग स्टेशन है।

- ii. पारेषण लाइनें: (लाइन वार विवरण दिया जाना है)

क्र.स.	वोल्टेज स्तर (केवेकेवी)	पारेषण लाइनों की संख्या	कुल सर्कट किलोमीटर में

- iii. प्रवर्ग (अन्य): कृपया विवरण निर्दिष्ट करें

6. [...]एलडीसी से संबंधित बिलिंग के लिए उन व्यक्तियों के ब्यौरे जिसमें संपर्क किया जाना है:

- i. नाम
- ii. पदनाम
- iii. टेलीफोन न.
- iv. ई-मेल पता
- v. पोस्टल पता

7. अन्य विवरण:

- i. पैम नं:

ii. जीएसटी नं:

iii. बैंक खाता संख्या:

iv. बैंक का नाम और पता:

v. एमआईसीआर संख्या:

उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

तारीख :

नाम:

पदनाम:

संपर्क संख्या:

परिशिष्ट -V

आरएलडीसी / एनएलडीसी के लिए मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों का निर्धारण

आरएलडीसी/एनएलडीसी का नाम: _____

कार्य निष्पादन वर्ष: _____

प्रवर्ग	कुल भार	क्र. सं.	मुख्य निष्पादन संकेतक	भार
(क) हितधारक संतुष्टि	40	1	डीपीईई के अनुसार एमओयू रेटिंग्स	10
		2	ऊर्जा प्रणाली और बाजार के कामकाज को सुगम बनाना • ऊर्जा बाजार संव्यवहार (संग्रह और द्विपक्षीय), आरईसी, ईएससी (ईएसकेटर्स) • पावर सिस्टम कार्यपद्धति: एफआरसी की गणना और उत्सर्जन, पारेषण हानि की घोषणा, स्टोकेक्स स्टॉक्स सहित क्रॉस बॉर्डर	30
		3	प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखें • एफडीआई • विडीआई रखरखाव शटडाउन समन्वय	20
		4	वेबसाइट की उपलब्धता	10
		5	सूचना प्रसार • एटीसी / टीटीसी • संव्यवहार अनुसूची	10
		6	खातों की तैयारी • इंटरकनेक्शन मीटर त्रुटि रिपोर्टिंग • अनुषंगी सेवाएं • एजीसी	20
(ख) वित्तीय विवेक	20	1	कैपेक्स यूटिलाइजेशन में भिन्नता	40
		2	सांविधिक अनुपालन - लेखा परीक्षण	60
(ग) सीखना और विकास	20	1	नई तकनीक अपनाना / आर एंड डी	30
		2	विषय को सीखना और गहन डाटा रिपोर्ट के माध्यम से ज्ञान प्रसार	30
		3	एचआर की उपयुक्तता - पात्र ऑपरेटरों के बीच प्रमाणित ऑपरेटरों का	20

			प्रतिशत	
		4	क्षमता निर्माण • पात्र कर्मचारी प्रति वर्ष मानव-दिनों की संख्या • फ़ोल्ड बैठकें / कार्यशालाएँ	20
(घ) आंतरिक प्रक्रिया	20	1	निर्णय समर्थन प्रणाली की उपलब्धता - स्काडा	40
		2	अवसंरचना और सुविधाओं की उपलब्धता	30
		3	आईएसओ प्रमाणन	10
		4	प्रक्रिया दस्तावेज़ीकरण - ब्लैक स्टार्ट, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा	20

(ऊपर दिए गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए विशिष्ट मीट्रिक की गणना पोसोको द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया में

विस्तृत रूप से की जानी चाहिए और अनुमोदन के लिए इन विनियमों के जारी होने के 3 महीने के भीतर

आयोग को प्रस्तुत करें।)

परिशिष्ट -VI

मानव संसाधन की आवश्यकता - नियंत्रण अवधि के लिए प्राक्कलन: _____

I. स्तर वार अनुमानित मानवशक्ति

ग्रेड	विवरण	वर्ष-1	वर्ष - 2	वर्ष -3	वर्ष -4	वर्ष -5
बोर्ड	निदेशक					
ई9	कार्यकारी निदेशक					
ई 8	महाप्रबंधक / सीनियर महाप्रबंधक / मुख्य महाप्रबंधक					
ई 7	उपमहाप्रबंधक / सीनियर उपमहाप्रबंधक					
ई 5- ई 6	प्रबंधक / मुख्य प्रबंधक					
ई 3- ई 4	कार्यपालक प्रशिक्षु / सहायक प्रबंधक / उपप्रबंधक					
ई 2	इंजीनियर / अधिकारी					
एन ई	पर्यवेक्षक / जूनियर इंजीनियर / कर्मकार					
टीओटी-ई	कुल कार्यकारी					
ई/ एनई	गैर-कार्यपालक अधिकारियों का अनुपात= (टीओटी-ई) / (एनई)					

II. विभाग के अनुसार अनुमानित मानवशक्ति

	विवरण	वर्ष-1	वर्ष -2	वर्ष -3	वर्ष -4	वर्ष -5
ई-आरएस	रोटेटिंग शिफ्ट में काम करने वाले अधिकारी					
ई एसओ	प्रणाली प्रचालन कार्यों में कार्यपालक अधिकारी(ऑफलाइन)					
ई-एमओ	बाजार प्रचालन कार्यों में कार्यपालक अधिकारी (ऑफलाइन)					
ई-एसएल	प्रणाली लॉजिस्टिक्स कार्य में कार्यपालक अधिकारी (ऑफ लाइन)					
ई- ओटीएच	अन्य सहायक कार्यों में कार्यपालक अधिकारी (ऑफ लाइन) (कानून, मानव संसाधन, एफ एंड ए, आदि)					
ई-जीएस	सामान्य पाली में काम करने वाले अधिकारी (इ- एसओ + एमओ + एसएल + ओटीएच)					
आरएस/जीएस	बारी बारी से पारी / सामान्य पारी में कार्यपालक अधिकारियों का अनुपात					
एसओ / टीओटी	कार्यपालक अधिकारियों का अनुपात (एसओ / टीओटी)					

एसओ / टीओटी	कार्यपालक अधिकारियों का अनुपात (एमओ / टीओटी)					
एसएल / टीओटी	कार्यपालक अधिकारियों का अनुपात (एसएल / टीओटी)					
ओटीएच/ टीओटी	कार्यपालक अधिकारियों का अनुपात (ओटीएच/ टीओटी)					

**III. मान्य प्रमाण-पत्र वाले भार प्रेषण केंद्र में कर्मियों की संख्या
(संबंधित वर्ष के 31 मार्च को)**

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	वर्ष-1	वर्ष -2	वर्ष -3	वर्ष -4	वर्ष -5
क	प्रमाणित कार्यपालक- बुनियादी स्तर					
ख	प्रमाणित कार्यपालक - विश्वसनीयता विशेषज्ञ					
ग	प्रमाणित कार्यपालक - बाजार विशेषज्ञ					
घ	प्रमाणित कार्यपालक- सिस्टम लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ					
ङ	प्रमाणित कार्यपालक - विशेषज्ञ (अन्य)					
च	प्रमाणित कार्यपालक- प्रबंधन स्तर					
छ	प्रमाणित कार्यपालकों की कुल संख्या					
ज	कार्यपालकों की कुल संख्या					
झ	मूल से कुल का अनुपात (ए / एच)					
ञ	विश्वसनीय विशेषज्ञ से कुल (बी / एच) का अनुपात					
ट	कुल के बाजार विशेषज्ञ का अनुपात (सी/ एच)					
ठ	कुल के लिए रसद विशेषज्ञ का अनुपात (डी / एच)					
ड	अन्य विशेषज्ञ से कुल (ई / एच) के लिए अनुपात					
ढ	प्रबंधन विशेषज्ञ से कुल के लिए अनुपात (एफ / एच)					

IV. विषयवार परियोजना मानवशक्ति

क्र.सं.	विषय (स्नातक स्तर पर)	वर्ष-1	वर्ष -2	वर्ष -3	वर्ष -4	वर्ष -5
1	ऊर्जा प्रणाली					
2	विद्युतीय					
3	नवीकरणीय					
4	संचार					
5	कंप्यूटर विज्ञान					
6	सार्वजनिक नीति					
7	अर्थशास्त्र					
8	व्यापार					
9	आंकड़े					
10	विधि					
11	मानव संसाधन					
12	वित्त					
13	प्रबंध					
14	अन्य (निर्दिष्ट करें)					

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2019

No.L-1/153/2019/CERC.— In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub section 4 of section 28 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER-1
PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2019.
- (2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette, and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall be applicable during the control period from 1.4.2019 to 31.3.2024.

2. Scope and extent of application

These regulations shall be applicable for determination of fees and charges to be collected by Regional Load Despatch Centres from the generating companies, distribution licensees, inter-State transmission licensees, buyers, sellers and inter-State trading licensees and any other users.

3. Definitions: In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (1) **‘Act’** means the Electricity Act, 2003(36 of 2003);
- (2) **‘Additional Capitalization’** means the capital expenditure incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the project and admitted by the Commission after prudence check;
- (3) **‘Annual LDC Charges (ALC)’:** The Annual LDC charges (ALC) shall comprise the aggregate revenue requirement (ARR) for meeting the annual expenditure to be incurred by the RLDC and NLDC as approved by the Commission;
- (4) **‘Auditor’** means an auditor appointed by the Power System Operation Corporation Limited, qualified for being appointed as an auditor in accordance with the provisions of sections 224, 233B and 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as amended from time to time or Chapter X of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any other law for the time being in force;
- (5) **‘Bank Rate’** means the one year marginal cost of lending rate (MCLR) of the State Bank of India issued from time to time plus 350 basis points;
- (6) **‘Buyer’** means a person buying power through medium term open access or long term access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by the Regional Load Despatch Centre;
- (7) **‘Capital Cost’** means the capital cost as defined in Regulation 14 of these regulations;
- (8) **‘Capital Expenditure’ or ‘CAPEX’** means the expenditure of capital nature planned to be incurred during the control period for creation of assets of the Regional Load Despatch Centres or National Load Despatch Centre, as the case may be;
- (9) **‘Charges’** means recurring payments on monthly basis to be collected by the Regional Load Despatch Centres for the services rendered by National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre and Power System Operation Corporation Limited;
- (10) **‘Commission’** means Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
- (11) **‘Contingency Reserve’** is the reserve to be created and maintained by RLDCs and NLDCs from other incomes (other than registration fees and approved annual LDC charges) viz. short term open access application fees and operating charges, REC and PAT charges etc.
- (12) **‘Contracted Capacity’** means the capacity arranged through long term access or medium term open

access;

- (13) **‘Control Period’** means a period of five years starting from 1.4.2019;
- (14) **‘Day’** means the 24 hour period starting at 0000hour;
- (15) **‘Effective tax rate’** for tax on return on equity is the rate (in %) calculated on the basis of actual tax paid by the concerned Load Despatch Centre in the respect of the financial year in line with the provisions of the relevant Finance Acts and in line with the norms defined in CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations for the relevant control period notified by the Commission;
- (16) **‘Expenditure Incurred’** means the fund, whether equity or debt or both, actually deployed and paid in cash or cash equivalent, for creation or acquisition of a useful asset and does not include commitments and the liabilities for which no payment has been made;
- (17) **‘Ergonomics’** means the science of refining the design of products/Office equipment to optimize them for human use. Human characteristics, such as height, weight, as well as information about human hearing, sight, temperature preferences and so on are considered while choosing the workplace equipment/furniture. Ergonomics is sometimes known as human factors engineering;
- (18) **‘Fees’** means the non-refundable one-time or fixed payments collected by the Regional Load Despatch Centres, or in a defined periodicity, by the National Load Despatch Centre, for the services rendered for commencement of grid access and scheduling and on account of registration, membership or any other purpose as specified by the Commission from time to time;
- (19) **Forum of Load Despatchers (FOLD)** means the body constituted by Forum of Regulators (FOR) and having NLDC, RLDCs, SLDCs as its members with secretariat at NLDC;
- (20) **‘Grid Access’** means the permission granted by the concerned RLDC for integration of the generating station including a stage or unit of the generating station, or licensees, buyers and sellers with the grid on meeting the technical requirements;
- (21) **‘LDC Development fund’** is the fund to be created and maintained by POSOCO for administering capital expenditure & other expenses for empowerment of human resources as approved by the Commission;
- (22) **‘Licensee’** means a person granted a license under Section 14 of the Act;
- (23) **‘Logistics Function’** means the support functions for NLDC/RLDCs as per Regulation 5(1) of these Regulations;
- (24) **‘Market Operation Function’** means functions related to power market as per Regulation 5(2) of these Regulations;
- (25) **‘National Load Despatch Centre’ or ‘NLDC’** means the Centre at the national level established by the Central Government under sub-section(1) of Section 26 of the Act;
- (26) **‘Operational Expenditure or OPEX’** refers to all the services related to the functions where a significant portion of delivery is through an annual recurring expenses mode;
- (27) **‘Other Support Functions’** means the functions performed by the RLDCs and NLDC and includes but not limited to taxation and TDS Reconciliation, Accounting, Settlement, Billing & Collection, Contracts, human resource administration, management information system, legal & regulatory affairs and inputs for policy making;
- (28) **‘Power System Operation Corporation Limited’ or ‘POSOCO’** means a company entrusted with the operation of the National Load Despatch Centre in accordance with Section 26 of the Act and Regional Load Despatch Centres in accordance with Section 27 of the Act or any other related function assigned by the Govt./ Commission from time to time;
- (29) **‘Region’** means any one of the regions demarcated by the Central Government under Section 25 of the Act;
- (30) **‘Regional entity’** means an entity whose scheduling, metering and energy accounting is done at the regional level by the concerned Regional Load Despatch Centre;
- (31) **‘Regional Load Despatch Centre’ or ‘RLDC’** means the Centre for each region established by the Central Government under sub-section (1) of section 27 of the Act;

- (32) **‘Replacement Expenditure’ or ‘REPEX’** means the expenditure incurred or projected to be incurred for replacement of capital assets on completion of their useful life but are not covered under the Repairs and Maintenance expenses;
- (33) **‘Regulatory Pool Account’** means the account operated by the RLDCs or NLDC under the relevant regulations or orders by the Commission for handling Deviation Settlement Charges, Reactive Energy Charges, Ancillary Services Operation, Congestion Charges and Congestion Revenue amount due to market splitting or any other pool account/ market product which may be operated by RLDCs or NLDC from time to time as per the Regulations or directions of the Commission;
- (34) **‘Scheme’** means the facilities and equipment associated with and installed at the RLDCs, NLDC and Corporate office of POSOCO, as the case may be, as per Regulation 6 of these Regulation;
- (35) **‘Seller’** means a person other than a generating company supplying power through medium term open access or long term access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by RLDCs or NLDC;
- (36) **‘State Load Despatch Centre (SLDC)’** means the center established under subsection (1) of section 31 of the Electricity Act, 2003;
- (37) **‘System Operation Function’** shall be as per Regulation 5(3) of these Regulations;
- (38) **‘User’** means the generating companies, distribution licensees, buyers, Bulk consumers (SEZ), sellers and inter-State transmission licensees, Demand Response Consumers, Qualified Coordinating Agency (QCA), or any other such existing (or envisaged in future) entity who use the inter-State transmission network or the associated facilities and services of National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centres further detailed as per Regulation 7 of these Regulations;
- (39) **‘Year’** means a financial year;

The words and expressions used in these regulations and not defined here in but defined in the Act or the CERC (Indian Electricity Grid Code), Regulation, 2010 shall have the meaning assigned to them under the Act or the CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations 2010 as amended from time to time.

CHAPTER-2

GENERAL

4. Registration

- (1) The users shall register through online application with the respective Regional load Despatch Centre (RLDC) for commencement of Grid Access for availing system operation services of RLDCs or NLDC as under:
- (a) All generating stations, distribution licensees and inter-State transmission licensees or any other user defined under clause 3(38) of these regulations intending to avail the Grid Access shall register themselves with concerned Regional Load Despatch Centre responsible for scheduling, metering, energy accounting and switching operations, not less than 30 days prior to intended date of commencement of Grid access, by filing an application in the format prescribed at **Appendix-IV** of these regulations:
- Provided that when a unit is added to a generating station or an element is added to a transmission system, the generating company or transmission licensee, as the case may be, shall send an intimation to the concerned RLDC(s) within two days of such addition for updating its records;
- (b) The buyers and sellers who intend to avail grid access shall register themselves with the concerned Regional Load Despatch Centre not less than 30 days prior to intended date of commencement of grid access by filing an application in the format prescribed as **Appendix-IV** to these regulations;
- (c) The Power exchanges and traders who intend to avail the services of RLDCs and NLDC shall register themselves with the National Load Despatch Centre by filing an application in the format prescribed as **Appendix-IV** to these regulations.
- (2) Upon submission of the online application for registration, auto-generated acknowledgement for

receipt of application shall be issued by the nodal agency.

- (3) After scrutiny, RLDC /NLDC shall intimate the deficiencies in the application, if any, to the applicant within one week of receipt of application. The applicant shall rectify the deficiency within one week thereafter, failing which the application shall be closed.
- (4) The RLDCs or NLDC, as the case may be, after scrutinizing applications for registration and on being satisfied with correctness of the information furnished in the application shall register the applicant and send a written intimation to the applicant.
- (5) The generating companies, distribution licensees, inter-State transmission licensees, power exchanges, traders, sellers and buyers and any other user as specified in Regulation 3(38) shall pay the registration fees as specified in these Regulations.
- (6) RLDCs or NLDC as the case may be shall maintain a list of registered users on their website along with their date of registration.
- (7) RLDC may, after issuing notice of at least one month, de-register a user in case of persistent default in payment of RLDC Fees and Charges for more than 90 days or termination of connectivity. A user can subsequently re-register once the default has been cured or connectivity re-established by paying 50% of the original registration charges.

5. Functions of RLDC and NLDC

- (1) Logistics Functions includes design, operations & maintenance of but shall not be limited to the following:
 - (a) Engineering of new SCADA/EMS/WAMS/REMC upgrades
 - (b) Maintenance of SCADA/EMS/WAMS/REMC infrastructure
 - (c) Synchro- phasor technologies
 - (d) Real time software applications
 - (e) Off-line software applications
 - (f) Big Data Analytics tools
 - (g) Decision Support Systems
 - (h) IT, Networking and Communication systems including websites, Wi-Fi access systems, cyber security & other related systems
 - (i) Conference & meeting related facilities including audio-visual equipment such as video conference equipment etc.,
 - (j) Power supply system
 - (k) Fire fighting & alarm systems
 - (l) Ergonomic systems
 - (m) Public Address System
- (2) Market Operation function includes but shall not be limited to the following functions:
 - (a) Facilitating Grid Access to new entities including but not limited to first time charging of elements
 - (b) Feedback in respect of Market Design, for complementing reliability and causing economy
 - (c) Open Access Administration
 - (d) Finalization of Inter-change schedules for energy accounting
 - (e) Day Ahead Market
 - (f) Real Time Market
 - (g) Ancillary Services Market,

- (h) Interface Energy Metering.
- (3) Registry Function under REC and PAT and similar other scheme as directed by the Commission includes:
 - (i) Information dissemination.
 - (j) Any other functions assigned to the RLDCs or NLDC under the Act and/or National Load Despatch Centre Rules, 2005 ('NLDC Rules') or the regulations and orders issued by the Commission from time to time;
- (4) System Operation function includes but shall not be limited to the following functions:
 - (a) Operational Planning**
 - (i) Load Forecasting
 - (ii) RE forecasting
 - (iii) Fuel security assessment
 - (iv) Production cost optimization studies
 - (v) Generating outage planning
 - (vi) Transmission outage planning
 - (vii) Assessment of Transfer Capability
 - (viii) Reactive Power studies
 - (ix) Short circuit and transient stability studies
 - (x) small signal stability studies
 - (xi) Electromagnetic transient studies
 - (xii) Mock black start drills
 - (xiii) Operation of back up control centre
 - (xiv) Preparations for special events like festivals, natural calamities like cyclone, floods etc.
 - (xv) Documentation of procedures (operating, restoration)
 - (b) Scheduling and Despatch on day-ahead and realtime basis**
 - (i) Day ahead security studies factoring all outages
 - (ii) Unit commitment
 - (iii) Day ahead optimization and scheduling
 - (iv) Shift Crew Resource Management
 - (v) Anticipating and mitigating congestion
 - (vi) Preparation for special events
 - (vii) Handling requests for emergency/urgent outages unforeseen in operational planning horizon
 - (c) Real Time Operation**
 - (i) Frequency Control
 - (ii) Voltage control
 - (iii) Tie line loading control
 - (iv) Congestion management
 - (v) Ensuring security at all times
 - (vi) Ancillary Services

- (vii) Balancing Services, Automatic Generation Control
- (viii) Real Time Contingency Analysis
- (ix) Dynamic Security Assessment
- (x) Monitoring weather updates
- (xi) Handling emergency outage requests
- (xii) Restoration of network after tripping
- (xiii) Rescheduling of generation
- (xiv) Reporting of a grid disturbance (GD)/grid incident(GI)
- (xv) Periodic communication with stakeholders and sensitizing in case of emergency
- (xvi) De-briefing after an extreme event

(d) After the Fact or Post Despatch Analysis:

- (i) Analysis of frequency and voltage
 - (ii) Analysis of Grid Code violations and follow up with agencies
 - (iii) Analysis of Grid Events (GD/GI)
 - (iv) Evaluating primary response viz.computation of Frequency Response Characteristics (FRC) of individual control areas
 - (v) Low Frequency Oscillations (LFO) monitoring and analysis
 - (vi) Detailed reports of Grid Disturbances/Grid Events
 - (vii) Simulation of events and learnings thereof
 - (viii) Event replay, lessons learnt and dissemination of same
 - (ix) Taking up shortcomings with stakeholders
- (e) Submission of Operational feed back to CEA/CTU/STU/CERC/SERC**
- (f) Information dissemination and any other function(s) assigned to the RLDCs or NLDC, as the case may be, under the Act or NLDC Rules or regulations and/or orders issued by the Commission from time to time;**

6. Scheme includes but shall not be limited to the following: -

- (k) Supervisory control and data acquisition (SCADA) System, Wide Area Measurement System (WAMS), Renewable Energy Management Centre (REMC), Weather Portal and other such related information systems
- (l) Computer systems, hardware and software, Cyber Security Systems, Multiple Video conferencing facilities, Voice Recording Systems
- (m) Ergonomically designed office furniture/equipment
- (n) Auxiliary power supply system comprising Uninterrupted Power Supply, Diesel Generating Set and DC power system
- (o) Communication system including redundant communication infrastructure – Satellite communication in addition to conventional systems
- (p) Other infrastructure facilities, such as air-conditioning, fire-fighting and construction and renovation of buildings, roof-top solar units for energy efficiency etc.
- (q) Any innovative schemes R & D projects and pilot projects for better system operation, such as Synchro-phasors, System Protection Scheme,
- (r) Disaster Recovery (Main-I & Main-II) control centres for RLDCs and NLDC
- (s) Surveillance System

- (t) Dual redundant internet connectivity for Web Servers of LDCs
- (u) NMS (Network Management System) & Asset management tool for Network & IT Asset Monitoring
- (v) Market Management System Software
- (w) Cyber Security System infrastructure facilities such as Anti-APT (Advanced Persistent Threat) monitoring, Vulnerability Assessment for Persistent Threat (VAPT)& control Device, Local Area Network (LAN) Zone & Layer, Secure Sockets Layer (SSL) Certificate, SSL Virtual Private Network (VPN) and Security Information & Event Management(SIEM)
- (x) Infrastructure to ensure high availability of the Information Technology (IT) and Operational Technology (OT) applications:
- (y) Redundant communication links / distribution path for IT / OT equipment
 - (a) Redundant site infrastructure – Disaster Recovery
 - (b) Multiple independent distribution path serving the equipment
 - (c) Dual powered and fully compatible with the site topology
 - (d) Cooling equipment dual powered including air-conditioning system
 - (e) Fault tolerant site infrastructure with electrical power storage, standby power supply, distribution facility
 - (f) Physical access security needs to be ensured for IT – OT infrastructure with biometric access, CCTV surveillance, fire alarm and firefighting system.
- (z) Additional infrastructure facilities like ‘Digital Signature’, ‘Instant Messaging for Business’, ‘Centralized Patch Management and Antivirus server’, ‘Syslog Server’ and ‘Enterprise class Backup and replication software’ etc.
- (aa) Future Technologies like Cloud Computing (e.g. PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) and DaaS (Desktop as a Service) are available on Public Cloud, Private Cloud and Hybrid Cloud), Big Data Analytics tools and Advanced data visualization tool (with GIS interfacing) etc.
- (bb) Ergonomically designed office equipment

7. Users specifications

- (1) A generating station or unit whose scheduling, metering and energy accounting is carried out separately for each stage or unit, such generating station or stage or unit shall be considered as a user for the purpose of sharing of Annual LDC Charges (ALC) in accordance with Regulation 31 of these Regulations and for payment of registration fees in accordance with Regulation 29 of these Regulations;
- (2) In case of inter-State transmission licensees, each region where the licensee has the operation shall be considered as a user for the purpose of these Regulations;
- (3) Where the inter-State transmission system is having cross-border international connections, the agency designated by Government of India for coordinating the scheduling, metering and energy accounting for the transaction carried out for import and export of power through the said transmission system shall be considered as a user for the purpose of these Regulations;
- (4) Where any cross border generating station is connected to the inter-State transmission system of the Indian Grid and is injecting power through medium and/or long term PPA, the agency designated by Government of India for coordinating the scheduling, metering and energy accounting for the transaction carried out for import or export of power through the said transmission system shall be considered as a user for the purpose of these Regulations;
- (5) Sardar Sarovar Project (SSP), DVC and Bhakra Beas Management Board (BBMB), whose scheduling, metering and energy accounting is carried out by the concerned RLDCs, shall be considered as users of the respective Regional Load Despatch Centres for the purpose of this Regulation;
- (6) Distribution licensee selling power through LTA or MTOA and using transmission system shall be considered as a user under the category “Seller” for the purpose of these Regulations;

- (7) Any other entity which may use services of the RLDCs and NLDC from time to time;

8. Capital Expenditure (CAPEX) and Replacement Expenditure (REPEX) Plan:

- (1) The RLDCs and NLDC shall formulate the scheme for Capital Expenditure (CAPEX) and Replacement Expenditure (REPEX) for the control period duly approved by the Board of Directors of Power System Operation Corporation Limited. The CAPEX and REPEX plan shall also include future costs to be incurred for the up-gradation, modernization, automation and expansion of infrastructure in addition to existing capital assets.
- (2) The concerned RLDCs or NLDC as the case may be shall submit the following along with the petition for determination of fees and charges:
 - (i) the CAPEX for the control period along with details of estimated expenses, and estimated completion period of each scheme;
 - (ii) the REPEX plan for capital expenditure of existing asset, completion of life of existing asset, cumulative depreciation recovered, date of replacement, cumulative repayment of loan upto date of replacement, writing off of the gross value of the original assets from the original fixed assets along with estimated expenses and estimated completion period of each scheme.
- (3) In relation to any consolidated schemes of CAPEX and REPEX involving one or more RLDCs and/or NLDC, the capital expenditure chargeable to each RLDC and NLDC shall be segregated and considered as a part of capital expenditure of RLDC concerned and NLDC, as the case may be .

9. OPEX Plan

RLDCs and NLDC shall identify the services to be engaged under OPEX and shall submit, along with the petition for determination of Fees and Charges, an year wise OPEX plan duly approved by the Board of Directors of POSOCO.

CHAPTER-3

DETERMINATION OF FEES AND CHARGES

10. Application for determination of fees and charges

- (1) The RLDCs and NLDC shall make application in the formats annexed as **Appendix-I** to these Regulations within 180 days from the date of notification of these Regulations, for determination of fees and charges for the control period, based on the capital expenditure incurred and duly certified by the auditor as on 1.4.2019 and projected to be incurred during the control period based on CAPEX, OPEX, REPEX and other expenditures viz. Human Resource expense, Operation & Maintenance, Interest on working capital etc.
- (2) The application shall contain particulars such as source of funds, equipment proposed to be replaced, details of assets written off, and details of assets to be capitalized etc.
- (3) Before making the application, the concerned RLDC or NLDC, as the case may be, shall serve a copy of the application on the users and submit proof of service along with the application. The concerned RLDC or NLDC shall also keep the complete application posted on its website till the disposal of its petition.
- (4) The concerned RLDC or NLDC, as the case may be, shall within 7 days after making the application, publish a notice of the application in at least two daily newspapers, one in English language and one in another Indian language, having circulation in each of the States or Union Territories where the users are situated, in the same language as of the daily newspaper in which the notice of the application is published, in the formats given in **Appendix-II** to these regulations. The RLDC or NLDC as the case may be will recover such expenditure on publication of notice of the application from the Users, as one-time expenditure.
- (5) The concerned RLDC or NLDC, as the case may be, shall be allowed the fees and charges by the

Commission based on the audited capital expenditure incurred as on 1.4.2019 and projected to be incurred during control period as per Management Certificate for CAPEX and REPEX.:

Provided that the application shall contain details of underlying assumptions and justification for the capital expenditure incurred and the expenditure proposed to be incurred in accordance with the CAPEX and REPEX.

- (6) If the application is inadequate in any respect as required under **Appendix-I** of these regulations, the application shall be returned back to the concerned RLDC or NLDC for resubmission after rectifying the deficiencies as may be pointed out by the Commission.
- (7) The Commission shall consider the suggestions and objections, if any, received from the respondents and any other person including the consumers or consumer associations. The Commission shall issue order determining the fees and charges after hearing the petitioner, the respondents and any other person permitted by the Commission.
- (8) During pendency of the application, the applicant shall continue to bill the users on the basis of fees and charges approved by the Commission during previous control period and applicable as on 31.3.2019, for the period starting from 1.4.2019 till approval of the Fees and Charges by the Commission, in accordance with these Regulations. This shall be subject to true up as approved by the Commission for the Control Period 2019-2024.
- (9) After expiry of the control period, the applicant shall continue to bill the users provisionally on the basis of fees and charges approved by the Commission and applicable as on 31.3.2024 for the period starting from 1.4.2024 till approval of fees and charges under the applicable regulations.

11. Determination of Fees and Charges

The Fees and Charges shall be determined separately for each of the Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre;

Provided that the annual charges of NLDC including corporate office expenses for the control period shall be apportioned among Regional Load Despatch Centres on the basis of the peak met (in MW) in the respective region as indicated on CEA's website for the preceding year

12. Prudence Check of Capital Expenditure

The principles adopted for prudence check of capital cost shall be reasonableness of capital cost, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, upgradability/ scalability of the technology and systems to accommodate the growing requirement of system operation, cost over-run and time over-run, procurement of equipment and materials through competitive bidding and such other matters as may be considered appropriate by the Commission for determination of fees and charges:

Provided that, while carrying out the prudence check, the Commission shall also examine whether the RLDCs or NLDC, as the case may be, has been careful in its judgments and decisions in execution of the project.

13. Truing up of Annual Charges

- (1) The RLDCs and NLDC shall make an application, in the formats annexed as Appendix-I to these regulations by 31.10.2024, for carrying out truing up exercise after end of the control period.
- (2) The RLDCs and NLDC shall submit, along with the application for truing up, details of capital expenditure including additional capital expenditure, sources of financing, human resource expenditure, operation and maintenance expenditure etc. incurred for the period from 1.4.2019 to 31.3.2024, duly audited and certified by the auditor.
- (3) The Commission shall carry out truing up exercise along with the application for determination of fees and charges for the next control period based on the capital expenditure including additional capital expenditure incurred up to 31.3.2024 and as admitted by the Commission after prudence check at the time of truing up:

Provided that each of the Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre, as the case may be, shall carry out annual reconciliation and provisional truing up of expenditure based on the capital expenditure including additional capital expenditure up to 31st March of each financial year of the control period and refund the additional recovery of fees and charges to the users by 30th September of the following year.

Provided that the RLDC or NLDC, as the case may be, shall carry out mid-term review of its expenses once within the control period, if the same is felt necessary in view of the emergent situation such as pay revision, significant deviation w.r.t. approved CAPEX or REPEX or any other unforeseen requirement, and may file the True-up Petition before the Commission, not before two years from the date of commencement of these Regulations.

- (4) The amount under-recovered or over-recovered by each of the Regional Load Despatch Centres or National Load Despatch Centre, as the case may be, along with simple interest at the rate equal to the bank rate as on 1st April of the respective year, shall be recovered or refunded by the respective RLDCs or NLDC or users, as the case may be, in six equal monthly installments.

CHAPTER-4

COMPUTATION OF CAPITAL COST AND ADDITIONAL CAPITALISATION

14. Computation of Capital Cost

- (1) The capital cost as admitted by the Commission after prudence check, for each of the Regional Load Despatch Centres or NLDC, as the case may be, shall form the basis for determination of annual charges.
- (2) The capital cost shall be computed by considering the following:
- (i) The Capital cost as admitted by the Commission as on 01.04.2019 duly trued up by excluding liability, if any;
 - (ii) Expenditure on account of additional capitalization determined in accordance with the Regulation 15 (1);
 - (iii) The fixed assets which have been replaced during control period shall be de-capitalized in accordance with Regulation 15 (2);
 - (iv) Interest during construction and incidental expenditure during construction;
 - (v) Any grant received from the Central or State Government or any statutory body or authority for execution of the project which does not carry any liability of repayment shall be excluded from the Capital Cost for the purpose of computation of interest on loan, return on equity and depreciation;
- (3) The Capital cost shall be admitted after prudence check which may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan, Interest During Construction (IDC), Incidental Expenditure During Construction (IEDC), financing charges, any gain or loss on account of Foreign Exchange Rate Variation (FERV), cost over-run and time over-run and such other matters as may be considered appropriate by the Commission:

Provided that interest during construction shall be computed corresponding to the loan from the date of infusion of debt fund, and after taking into account the prudent phasing of funds duly adjusting IDC on account of time overrun if any;

Provided further that incidental expenditure during construction shall be computed after prudence check duly adjusting the IEDC on account of time over run, if any, interest on deposits or advances, or any other receipts and liquidated damages recovered or recoverable corresponding to the delay.

- (4) RLDC or NLDC shall submit Auditor Certificate for the capital expenditure incurred as on 1.4.2019 and , a Management Certificate duly signed by an authorised person, not below the level of Director of the company, for the projected capital expenditure for respective years of the period 2019-24:

15. Additional Capitalization and De-Capitalization

- (1) The capital expenditure incurred or projected to be incurred for the assets already in service and the additional assets projected to be procured during tariff period may be admitted, by the Commission, subject to prudence check.
- (2) In case of de-capitalization of assets under the REPEX or otherwise, the original cost of such asset as on the date of de-capitalization shall be deducted from the value of gross fixed asset along with corresponding adjustment in equity, outstanding loan, cumulative repayment of loan and depreciation in the year such de-capitalization takes place.

16. Debt-Equity Ratio

- (1) The actual debt - equity ratio as admitted by the Commission for the period ending 31.3.2019 shall be considered for the opening capital cost of the Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre for the next control period:
- (2) The capital expenditure incurred prior to 1.4.2019, where debt-equity ratio has not been determined by the Commission for determination of annual charges of RLDC for the period ending 31.3.2019, the Commission shall determine the debt: equity ratio in accordance with Regulation 11(3) of the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges for Regional Load Despatch Centres and other related matters) Regulations 2015:
- (3) For the capital expenditure incurred or projected to be incurred on or after 1.4.2019, the debt-equity ratio shall be considered as 70:30. If the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan:

Provided that:

- i. Where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, actual equity shall be considered for determination of Return on Equity;
- ii. the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment;
- iii. Any grant, other than LDC development Fund obtained for the execution of the project shall not be considered as a part of capital structure for the purpose of debt – equity ratio.

Explanation: The premium, if any, raised by the Power System Operation Corporation Limited while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserve, for the funding of the project, shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, only if such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital expenditure of the RLDC.

CHAPTER-5**FEES AND CHARGES STRUCTURE**

- 17. Components of RLDC Fees and Charges:** The RLDC Fees and Charges shall comprise Regional Load Despatch Centre Fees to be recoverable by Power System Operation Corporation Limited towards registration for commencement of grid access and scheduling and annual charges to be collected in the form of Annual LDC Charges from users.
- 18. Annual LDC Charges (ALC):** The annual LDC charges shall correspond to the expenditure proposed to be incurred by the RLDCs or NLDC and as approved by Commission. The annual LDC charges (ALC) as approved by the Commission shall be recovered on monthly basis. The annual charges shall consist of the following components, namely:
 - (a) Return on equity;
 - (b) Interest on loan capital;
 - (c) Depreciation;
 - (d) Operation and maintenance (excluding human resource) expenses including:
 - Administrative and General Expenses (excluding HRD expenses);
 - Repair and Maintenance Expenses;
 - (e) OPEX
 - (f) Human resource (HR) expenses including Human Resource Development (HRD) expenses;
 - (g) NLDC and Corporate office expenses
 - (h) Interest on working capital;

CHAPTER-6
COMPUTATION OF ANNUAL LDC CHARGES (ALC)

19. Return on Equity

- (1) Return on equity shall be computed in Rupee terms on the equity base determined in accordance with Regulation 16 of these regulations.
- (2) Return on equity shall be computed on pre-tax base rate of 15.50% to be grossed up as per the sub-clause (3) of this Regulation.
- (3) The rate of return on equity shall be computed by grossing up the base rate with the effective tax rate of the respective financial year based on relevant Finance Act.
- (4) Return on equity with respect to the actual tax rate applicable to the Power System Operation Corporation Limited in line with the provisions of the relevant Finance Acts of the respective year during control period shall be trued up at the end of the control period.
- (5) Rate of return on equity shall be rounded off to three decimal points and be computed as per the following formula:

$$\text{Rate of pre-tax return on equity} = \text{Base rate} / (1-t)$$

Where 't' is the effective tax rate in accordance with sub-clause (3) and regulation 3(15).

20. Interest on Loan Capital

- (1) The loan determined in accordance with Regulation 16 shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan.
- (2) The normative loan outstanding as on 01.04.2019 shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission upto 31.03. 2019 from the gross normative loan.
- (3) The repayment for respective year of the control period shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for that year. In case of de-capitalization of assets, the repayment shall be adjusted by taking into account cumulative repayment on a pro-rata basis and the adjustment should not exceed cumulative depreciation recovered upto the date of de-capitalization of such asset.
- (4) The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each year applicable to the respective Regional Load Despatch Centre:
Provided that if there is no actual loan for a particular year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered;
Provided further that if any of the Regional Load Despatch Centre does not have actual loan, then the weighted average rate of interest on the loan of Power System Operation Corporation Limited as a whole shall be considered.
- (5) The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the year by applying the weighted average rate of interest.
- (6) The Power System Operation Corporation Limited shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re-financing shall be borne by the users and the net savings shall be shared between the users and the Power System Operation Corporation Limited in the ratio of 50:50. The changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of such re-financing.

Provided that the users shall not withhold any payment on account of the interest claimed by the users and the Power System Operation Corporation Limited during the pendency of any dispute arising out of re-financing of loan.

21. Depreciation

- (1) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the assets admitted by the

Commission.

- (2) The salvage value of the asset (excluding IT equipment and Software) shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset. The salvage value for IT equipment and software shall be considered as NIL and 100% value of the assets shall be considered as depreciable.
- (3) Land shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the capital cost of the asset.
- (4) Depreciation shall be calculated annually based on Straight Line Method and at rates specified in Appendix-III to these regulations for the assets of the Regional Load Despatch Centre.
- (5) Assets fully depreciated shall be shown separately.
- (6) Value of the assets not in use or declared obsolete shall be taken out from the capital cost for the purpose of calculation of depreciation.
- (7) The balance depreciable value as on 1.4.2019 shall be worked out by deducting the cumulative depreciation from the gross depreciable value of the assets appearing in the books of accounts of the Power System Operation Corporation Limited for the respective Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre.
- (8) In case of de-capitalization of assets in respect of concerned RLDC, the cumulative depreciation shall be adjusted by taking into account the depreciation recovered in tariff by the de-capitalized asset during its useful life.

22. Operation and Maintenance Expenses

- (1) Operation and maintenance(O&M) expenses (excluding human resource expenses) shall be derived on the basis of actual operation and maintenance expenses for the years 2014-15 to 2018-19, based on the audited balance sheets. The O&M expenses shall be normalized by excluding abnormal operation and maintenance expenses, donation, loss-in-inventory, prior-period adjustments, claims and advances written-off, provisions, etc., if any, after prudence check by the Commission
- (2) The normalized operation and maintenance expenses, after prudence check, for the years 2014-15 to 2018-19, shall be escalated at the rate of 4.77% to arrive at the normalized operation and maintenance expenses at the 2018-19 price level respectively and then averaged to arrive at normalized average operation and maintenance expenses for the 2014-15 to 2018-19 at 2018-19 price level. The average normalized operation and maintenance expenses of 2018-19 price level shall be escalated at the escalation rate as worked out in accordance with clause(4) of this Regulation to arrive the operation and maintenance expenses for the year 2019-20.
- (3) The operation and maintenance expenses for the year 2019-20 shall be escalated further at the annual escalation rate as worked out in accordance with clause (4) this Regulation to arrive at permissible operation and maintenance expenses for the subsequent years of the control period.
- (4) The escalation rate shall be worked out by considering the compounded annual growth rate, inflation rate, rationalization of O&M expenses and other factors, if any.
- (5) The actual expenditure towards Annual Maintenance Contract (AMC) of SCADA system and other Software/Hardware like REMC, National Open Access Registry (NOAR), web based scheduling software etc. involving significant expenditure, after prudence check, shall be considered for arriving at the Operation and Maintenance Expenses during 2019-20 to 2023-24.

23. Operational Expenditure (OPEX)

OPEX shall include services like Cloud Computing, Data Storage, Data Centre, Big Data Analytics tools, Advanced data visualization tool (with GIS interfacing), Satellite Services, Weather Data Services, WebNetUse, Forecasting Services, Licensee Fee for software, tools for knowledge upgradation or training of DICs etc. NLDC may procure software of transmission cost allocation centrally, if required, for use by respective DICs under OPEX.

Actual expenditure towards engaging of services under OPEX shall be considered, after prudence check during 2019-20 to 2023-24.

24. Human Resource Expenses

- (1) Human resource expenses shall be derived on the basis of actual human resource expenses for the years 2017-18 to 2018-19 based on the audited balance sheets. The human resource expenses shall be normalized by excluding abnormal Human resource expenses ex-gratia, VRS expenses, PRP/incentive, prior-period adjustments, claims and advances written-off, provisions, etc., if any, after prudence check by the Commission:
- (2) The expenses towards payment of Certificate Retainer-ship amount would be a part of the Human Resource Expenses.
- (3) Performance related pay computed in accordance with DPE /other applicable guidelines shall be met from the incentive allowed in accordance with Regulation 32 of these Regulations.

Provided that in case of any surplus in the incentive collected as per provisions of Regulation 32 after payment of performance related pay in accordance with DPE guidelines, such surplus amount shall be maintained separately to be used in subsequent years in case of shortfall of funds for payment of performance related pay as per DPE guidelines.

Provided further that in case shortfall in the funds as per Regulation 32 for distribution of performance related pay in accordance with DPE guidelines still persists, the shortfall shall be met from the LDC development Fund.

- (4) The normalized human resource expenses, after prudence check, for the year 2017-18 to 2018-19, shall be escalated at the rate of 4.77% to arrive at the normalized human resource expenses at the 2018-19 price level respectively and then averaged to arrive at normalized average human resource expenses for the 2017-18 to 2018-19 at 2018-19 price level.
- (5) The manpower approved during the year 2018-19 shall be the basis for computation of the HR expenses for 2019-20. Thereafter, for the subsequent years, the HR expenses shall be escalated at the annual escalation rate.
- (6) The average normalized human resource expenses of 2018-19 price level shall be escalated at the escalation rate as worked out in accordance with clause (8) of this Regulation to arrive the HR expenses for the year 2019-20.
- (7) The human resource expenses for the year 2019-20 shall be escalated further at the annual escalation rate as worked out in accordance with clause (8) this Regulation to arrive at permissible human resource expenses for the subsequent years of the control period:
- (8) The escalation rate shall be worked out by considering the compound annual growth rate, inflation rate, rationalization of human resource and other factors, if any.
- (9) The cost of anticipated increase in the manpower of each year of the control period shall also be considered after prudence check. The strength of manpower required for effective functioning of LDC will be as approved by the Commission while specifying the fees and charges.
- (10) Human Resource Development (HRD) expenses, incurred by the NLDC or RLDCS shall be a part of HR Expenses from FY 2019-20 onwards. In addition to the capacity building of the employees of NLDC or RLDCs, capacity building workshops and training programs organized for other stakeholders will also form part of the HRD expenses. Projected annual HRD expenses will be at least 5% of the HR expenses arrived based on the methodology defined above. However, if the actual utilization towards HRD expenditure exceeds the 5% of HR expenses of any year, it shall be allowed at the time of truing up by the Commission after prudence check. In case of less than 5% utilization, it shall be refunded at the time of annual truing up. All efforts shall be made to ensure that minimum seven days training per employee per annum is imparted as per the National Training Policy.

25. Interest on Working Capital

- (1) The working capital shall cover:
 - (i) Operation and maintenance expenses (excluding human resource expenses) for one month;
 - (ii) Human resource expenses including Human Resource Development Expenses for one month;
 - (iii) NLDC charges and Corporate Office for one month ;and
 - (iv) Receivables equivalent to 45 days of annual charges as approved by the Commission.
- (2) Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be considered as the bank rate as

on 1.4.2019 as per tariff Regulations.

- (3) Interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Power System Operation Corporation Limited has not taken any loan for working capital from any outside agency.

26. NLDC Charges and Corporate Office) Expenses

- (1) To the extent applicable, NLDC charges shall be computed by following the methodology specified for computing annual charges of Regional Load Despatch Centres except interest on working capital.
- (2) The Corporate Office Expenses, computed in accordance with the actual expenses incurred, shall be allowed by the Commission, after prudence check.
- (3) The expenditure towards running the FOLD Secretariat computed in accordance with the actual expenses incurred, shall be allowed by the Commission, after prudence check.
- (4) All expenses of NLDC and Corporate Office expenses approved by the Commission shall be apportioned to the Regional Load Despatch Centre on the basis of the peak met (in MW) in the respective region as indicated in CEA's website for the preceding year.

CHAPTER-7

LDC DEVELOPMENT FUND

27. LDC Development Fund

- (1) The Power System Operation Company shall create and maintain a separate fund called 'Load Despatch Centre Development Fund' ('LDCD Fund') for administering capital expenditure.
- (2) The charges on account of return on equity, interest on loan, depreciation of the RLDCs and NLDC including the registration fees and interest earned on LDCD Fund shall be deposited into the LDCD Fund after meeting the statutory tax requirements:

Provided that short term open access charges and other income of the RLDCs and NLDC, if any, shall not form part of the LDCD Fund and will be deposited to a separate account namely Contingency Reserve as per regulation -28 of these Regulations.

- (3) The RLDC and NLDC shall be entitled to utilize the money deposited in the LDCD Fund for creation of new assets, loan repayment, servicing the capital raised in the form of interest and dividend payment restricted to 15.50% of paid up Capital, meeting stipulated equity portion in asset creation, margin money for raising loan from the financial institutions, Corporate Social Responsibility and Sustainability Activities in compliance of the applicable provisions of the Companies Act and Dept. of Public Enterprises (DPE) / other applicable Government Guidelines issued and amended from time to time, Capacity Building of SLDCc and sub-LDC personnel and other users / stake holders, including but not limited to using the platform of Forum of Load Despatchers (FOLD) and/or through Institutes of national/international repute for capacity building, funding participation in national/international conferences and publication of technical papers there-in, facilitating higher education, availing institutional membership with national/international bodies and funding of Research & Development (R & D) projects, hiring consultancy service for learning & implementation of new technology & market products etc. subject to approval of the Commission.
- (4) LDCs shall ensure timely payment of fees like membership fee or any other recurring or non-recurring expenditure related to participation in the activities of the FOLD from the LDCD Fund. NLDC shall deposit such fees to the LDCD Fund after meeting the expenses on FOLD activities, if any.
- (5) Any shortfall in meeting the revenue expenditure including HR expenses shall be met from LDCD Fund. For this purpose, Load Despatch Centre shall be entitled to take interest free advance from LDCD Fund which shall be recouped from the expenditure allowed by the Commission under the respective heads at the time of truing up to be carried out after the expiry of the control period 2019-24.
- (6) Any asset created by the POSOCO out of the money deposited into the LDCD Fund shall be considered for computation of depreciation as per the rates specified in these Regulations. If required, POSOCO may finance capital assets partly from the equity and partly from LDCD Fund. As such, if the capital project is partly financed from equity share capital, it shall be considered for computation of

return on equity, in which case, the funding shall be considered in a normative debt equity ratio of 70:30 with the interest on loan component as NIL and the treatment of equity as per regulation 16(2) of these Regulations. Load Despatch Centre shall submit details of such assets in the CAPEX plan.

- (7) POSOCO shall submit the amount accumulated in LDCD Fund along with the break-up of sources from where the Fund is received. The POSOCO shall submit to the Commission at the end of every year, a report, along with an auditor's certificate, on utilization of LDCD Fund during the previous year. The report shall, inter alia, contain the details of the quantum of utilized as well as un-utilized portions of the LDCD Fund. The Commission may, if necessary, issue directives to the RLDCs and NLDC for effective utilization of LDCD Fund. For financing of capital assets during 2019-24, money utilized from LDCD Fund shall be treated as interest free advance to be refunded to the Reserve.

28. Contingency Reserve

- (1) The RLDCs and NLDC shall maintain a separate account namely Contingency Reserve for depositing other income like short term open access charges, REC charges, PAT Charges and any other income (if any) etc.
- (2) The RLDCs and NLDC shall use such income to meet the short fall, if any, in the annual charges allowed by the Commission or to meet the contingency expenses which were not foreseen at the time of making the application for fees and charges and are considered necessary for the efficient power system operation.
- (3) The balance amount shall be deposited into the LDCD Fund after meeting the statutory tax requirements.
- (4) There may be some requirements for which funds available under the contingency expenses are not enough to meet the unforeseen requirements. Such shortfall may be met from the LDCD Fund.

CHAPTER-8

COMPUTATION AND RECOVERY OF FEES AND CHARGES

29. **Registration Fees:** The fees shall be payable by the users including power exchanges and electricity traders before commencement of grid access and scheduling. The fees payable are as under:

- (1) The distribution licensees and inter State transmission licensees shall pay non-refundable one-time registration fees of Rs.10 Lakh along with application for commencement of grid access:
 Provided that the RLDCs concerned shall be intimated from time to time by the inter State transmission licensees about the additions of transmission elements synchronized with the grid and by the distribution licensees about the additional capacity tied up for the purpose of updating the record by concerned RLDC.
- (2) The generating companies shall pay registration fees as under:
 - a) For generating station upto 10 MW installed capacity: Rs .0.50 Lakh;
 - b) Generating stations having installed capacity of more than 10 MW and upto 100 MW: Rs. 1.0 Lakh;
 - c) Generating stations having installed capacity of more than 100 MW and upto 2000 MW : Rs. 5.0 Lakh;
 - d) Generating stations having capacity of more than 2000 MW: Rs.10.0 Lakh, and;
 - e) Provided that the entire capacity of the generating station or stage there of whose scheduling, metering and energy accounting is done separately shall be considered for the purpose of registration fees at the time of the initial registration;
 - f) Provided further that the generating companies shall intimate RLDCs concerned about the additional capacity commissioned by the generating station or a stage thereof.
- (3) The inter-State trading licensees, sellers and buyers shall pay one time registration fees of Rs. 10,000.00 (Rupees Ten Thousands only) along with application for commencement of scheduling for market operation.
- (4) The Power exchanges shall pay Rs.20.0 Lakh (Rupees Twenty Lakh only) as one time registration fees to

NLDC

- (5) All other users as defined in 3(38) of these regulations shall be liable to pay one time registration fees of Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand only) along with the application (ref. Appendix-IV) for commencement of grid access.

30. Monthly LDC Charges: The monthly LDC charges shall be calculated for the inter-State transmission licensees, generating stations and sellers, distribution licensees and buyers as under:

- (a) The LDC Charges for inter-State transmission licensees shall be determined on the basis of (1/3) of approved annual charges and shall be worked out on the basis of the circuit kilometers (ckt-km) of the lines owned by inter-State transmission licensees;
- (b) The LDC Charges for the inter-State Generating station and sellers shall be determined on the basis of (1/3) of annual LDC charges and shall be worked out on the basis of installed capacity in case of the generating station and long term and / or medium term contracted capacity in case of sellers;
- (c) The LDC Charges for the distribution licensees and buyers shall be determined on the basis of (1/3) of annual charges and shall be worked out on the basis of sum of aggregate allocated capacity and / or contracted capacities in case of distribution licensee including deemed distribution licensees and sum of long term and / or medium term contracted capacity in case of buyer.

31. Computation and Payment of LDC Charges:

- (1) The rates of LDC charges for inter-State transmission licensee shall be computed on annual basis and recovered on monthly basis in accordance with following formula;

Monthly LDC Charge rate (for Transmission Licensee) =

$$(1/3) [ALC / (Ckt_Km)] / 12 \text{ in Rs./Kilometer}$$

Where,

ALC = Approved Annual LDC Charges in accordance with Chapters 5 & 6;

Ckt_Km = Length of aggregate inter-State transmission lines as on last day of the month prior to the month of billing (rounded off to the nearest two decimals);

- (2) Monthly LDC charges for individual transmission licensee shall be computed on the basis of rates determined above and the length (in Ckt_ Km) of transmission lines owned and operated by the respective transmission licensee(s).

- (3) The rates of LDC charges for generating companies and sellers shall be computed on annual basis and recovered on monthly basis in accordance with following formula:

Monthly LDC Charge rate (for Generation or seller) =

$$(1/3) (ALC / (Capacity)) / 12 \text{ in Rs. / MW}$$

Where,

ALC = Approved Annual LDC Charges in accordance with Chapters 5 & 6;

Capacity=Aggregate Installed capacity (in MW) of generating stations and contracted capacity (in MW) of the sellers (rounded off to the nearest two decimals) whose scheduling and energy accounting is covered under concerned RLDC as on last day of the month prior to the month of billing;

- (4) The monthly LDC charges for generating companies or sellers shall be computed on the basis of rates determined above and respective 'capacity' (MW) of the generating station or seller.

- (5) The rates of LDC charges for distribution licensee and buyers shall be computed on annual basis and recovered monthly after taking into account aggregate contracted capacity in accordance with following formula:

Monthly LDC Charge rate (for Distribution Licensee or buyer) =

$$(1/3) (ALC / (Capacity)) / 12 \text{ in Rs./ MW}$$

Where,

ALC = Approved Annual LDC Charges in accordance with Chapters 5 & 6;

Capacity = Aggregate long term or medium term contracted capacity by distribution licensees and buyers (rounded off to the nearest two decimal) whose scheduling and accounting is covered under concerned RLDC as on last day of the month prior to the month of billing;

- (6) Monthly LDC charges from distribution licensees and buyers shall be collected in proportion to the sum of their allocations and contracted capacities, as the case may be, as on the last day of the month prior to billing of the month.
- (7) All other users having NIL contracted capacity (LTA & MTOA) shall be billed monthly ALC charge on the basis of a minimum capacity for which an entity is eligible for grant of connectivity to Inter-State transmission system as per the CERC Connectivity Regulations 2009.
- (8) The respective State Load Despatch Centre (SLDC) shall be the nodal agency for collection of monthly LDC charges payable to the concerned Regional Load Despatch Centre (RLDC), from the distribution licensees and other RLDC users in the State. After collecting the monthly LDC charge the concerned SLDC shall deposit the same into the account of the concerned RLDC. The RLDC users in the state shall have to option to make direct payment of monthly RLDC **Charges** into the account of concerned RLDCs or they may choose to pay the same through the respective SLDCs.

CHAPTER-9

PERFORMANCE LINKED INCENTIVE

32. Performance linked incentive to RLDCs and NLDC

- (1) Recovery of incentive by the Regional Load Despatch Centre shall be based on the achievement of the Key Performance Indicators (KPIs) as specified in **Appendix-V** or such other parameters as may be prescribed by the Commission.
- (2) Each Regional Load Despatch Centre shall submit its actual performance against each of the key performance indicators to the Commission on annual basis as per the format specified in **Appendix-V**.
- (3) NLDC shall submit the details in regards to each Key Performance Indicator in the format specified in **Appendix-V** along with the methodology for approval of the Commission.
- (4) The Commission shall evaluate the overall performance of the RLDCs or NLDC, as the case may be, on the basis of weightage specified in **Appendix-V**.
- (5) The RLDCs or NLDC, as the case may be, shall be allowed to recover incentive of 15% of Annual LDC Charges for aggregate performance level of 90%. The incentive shall increase by 1% on pro-rata basis for every 5% increase of performance level above 90%: The incentive shall be capped as per DPE Office Memorandum No. W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/ 17 dated 3.8.2017.
Provided that incentive shall be reduced by 1% on pro-rata basis for the every 3% decrease in performance level below 90%.
- (6) The RLDCs or NLDC, as the case may be, shall compute the Key Performance Indicators on annual basis for the previous year ending on 31st March and submit to the Commission along with petitions for approval of the Commission as per **Appendix-V** of these Regulations:
- (7) The key performance indicators of previous year ending on 31st March shall be considered to recover incentive on each year and shall be trued up at the end of the control period.

33. Certification Retainer-ship Amount to the employees of RLDCs and NLDC

- (1) The employees of Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre and State Load dispatch Centres who acquire the certificate of basic level, specialist level and management level in their respective areas of specialization shall be allowed a fixed retainer-ship amount during the validity of such certificate period as per the following parameters:

SI. No	Certification Level	Retainer-ship amount(in Rs. Per Month)
1	Basic	7500
2	Specialist	10000
3	Management	12000

- (2) A person acquiring one basic level and more than one Specialist and/or Management level certificate shall be entitled for maximum retainer ship amount capped at the higher applicable slab. For example, a person having both basic and specialist certificates shall be entitled for a maximum retainer-ship amount of Rs. 10,000/- per month. Similarly, a person having all three levels of certificates shall be entitled for a maximum retainer-ship amount of Rs. 12,000/- per month.
- (3) Funding will be done from the LDCD Fund for (i) payment of registration and / or application fees for appearing in basic, specialist and management level examinations, (ii) payment towards training expenses for these examinations, (iii) payment of certification retainer-ship amount to the certified LDC personnel. POSOCO shall submit detailed procedure on methodology of payment of Certificate Retainer-ship for approval of Commission within 2 months of issue of these Regulations.
- (4) Certificate Retainer-ship Amount shall be in addition to the performance linked incentive specified in Regulation 32.

CHAPTER-10

BILLING AND OTHER MISCELLANEOUS PROVISIONS

34. Billing and Payment of charges

- (1) Bills shall be raised for the LDC charge on monthly basis by the Power System Operation Company in accordance with these regulations, and payments shall be made by the users directly to the Power System Operation Corporation Limited.
- (2) Persistent default in payment of RLDCs/NLDC fee and charges shall be brought to the notice of the Commission.

35. Late payment surcharge: In case the payment of any bill for charges payable under these regulations is delayed by a user beyond a period of 45 days from the date of billing, a late payment surcharge at the rate of **1.5%** per month shall be levied from the users.

36. Recovery of cost of hedging or Foreign Exchange Rate Variation: Recovery of cost of hedging or foreign exchange rate variation shall be made directly by the RLDCs from the users without making any application before the Commission:

Provided that in case of any objections by users regarding the cost of hedging or foreign exchange rate variation, the RLDCs may make an appropriate application before the Commission for decision.

37. Rebate

- (1) A rebate of 1.5% shall be allowed by the RLDCs or NLDC on gross bill amount settled through RTGS, NEFT, Letter of Credit or cheque up to fifth day (i.e. T+5 day) from the date of issuance of the bills, where T is the date of issuance of the bill.
- (2) The rebate of 1% shall be allowed when payment is made from T+6 to T+30 days from issuance of the bill.
- (3) No rebate shall be allowed for payment made from T+31 days till T+45 days from the date of issuance of the bill.

38. Dispute Resolution: In case of dispute, any of the parties may make an application in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, as amended from time to time, including statutory re- enactment thereof, for settlement of the dispute.

- 39. Power to Relax:** The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by **NLDC or RLDCs or Users** after giving reasonable opportunity to those likely to be affected by such relaxation.
- 40. Removal of Difficulty:** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by order, make such provision not inconsistent with the provisions of the Act or provisions of any other regulations specified by the Commission, as may appear to be necessary for removing the difficulty in giving effect to the objectives of these regulations.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./51/19]

APPENDIX

TARIFF FILING FORMS (NLDC/RLDCs)

Appendix-I

INDEX

Checklist of Forms and other information/ documents for tariff filing for NLDC/RLDCs

Form No.	Tariff Filing Formats (RLDCs)	Tick
FORM-1	Summary Sheet	
FORM-2	Calculations for Return on Equity	
FORM-3A	Financial Package	
FORM-3B	Statement of Capital Cost	
FORM-3C	Financing of Additional Capitalization	
FORM-4A	Calculation of Interest on Normative Loan	
FORM-4B	Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans	
FORM-4C	Details of Foreign Loans	
Form-4D	Details of allocation of Corporate loans to various RLDCs	
FORM-5A	Statement of Depreciation	
FORM-5B	Calculation of depreciation rate	
FORM-6A	Details of Operation and Maintenance Expense excluding Human Resource Expenses	
FORM-6B	Details of Human Resource Expenses	
FORM-6C	Details of Repairs and Maintenance Expenses	
FORM-6D	Details of Administrative and General expenses	
FORM-7	Details of Operational Expenditure (OPEX)	
FORM-8	Interest on Working Capital	
FORM-9	Year wise statement of LDC Development Fund (projected)	
FORM-10	Other Income	

Other Information/ Documents		
Sl. No.	Information/Document	Tick
1	Audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts with all the Schedules & Annexure for RLDC /NLDC and Corporate office.	
2	Copies of relevant loan Agreements	

3	a) Copies of the approval of Competent Authority for the Capital Cost and Financial package. b) CAPEX and REPEX plan along with Board approval, estimated capital cost and justification	
4	a) Copies of the Equity participation agreements and necessary approval for the foreign equity, if any. b) Equity contribution from LDC Development Fund along with Board Approval	
5	Any other relevant information, (Please specify)	

Note 1 : Electronic copy of the petition (in words format) and detailed calculation as per these formats (in excel format) and any other information submitted shall also be furnished in the electronic form.

FORM-1**Summary Sheet**

Name of the NLDC/RLDCs: _____

(Rs. In lakh)

S.N.	Particulars	Form No.	Existing 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Return on Equity ¹							
2	Interest on Loan Capital							
3	Depreciation							
4	O&M Expenses excluding human resource expenses							
5	Human resource expenses including HRD							
6	OPEX							
7	NLDC*/RLDC charges and Corporate office expenses (as applicable)							
8	Interest on Working Capital							
	Total							

¹ Details of calculations, considering equity as per regulation, to be furnished.

*NLDC charge & corporate office expense applicable for RLDCs

Petitioner

FORM-2

Calculations for return on equity							
Name of NLDC / RLDCs :		Regional Load Despatch Centre					
		Year ending March					
Particulars	Unit	Existing 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
Base rate of Return on Equity	%						
Tax Rate	%						
Detailed Calculation for Return on Equity							
Particulars	Unit	Existing 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
GROSS EQUITY AS ON 1.4.2019 FOR RLDC ASSETS							
ADD CAP 2019-20 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
ADD CAP 2020-21 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
ADD CAP 2021-22 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
ADD CAP 2022-23 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
ADD CAP 2023-24 (AVG EQUITY DURING THE YEAR)							
TOTAL EQUITY							
RATE OF RETURN ON EQUITY							
RETURN ON EQUITY							
NOTE: Income tax rate applicable for each financial year is based on the rates as per Income Tax Act, 1961							

Petitioner

FORM-3A

Financial Package

Name of the LDC: _____

Project Cost as on 1.4.2019: _____

Date of Commercial Operation: _____

(Rs in lakh)

1	Financial Package as Approved		Financial Package as on COD/1.4.2019		As Admitted on 1.4.2019	
	2	3	4	5	6	7
Loan-I						
Loan-II						
Loan-III						
and so on						
Equity-						
Foreign						
Domestic						
Total Equity						
Debt : Equity Ratio						

Petitioner

Loan-2										
Loan-3andsoon										
Total Loan²										
Equity										
Internal Resources										
Others										
Total										

¹ Year 1 refers to Financial Year of COD and Year 2, Year 3 etc. are the subsequent financial years respectively.

Petitioner

FORM-4A

(Rs in lakh)

Calculation of interest on Normative Loan						
Name of LDC:						
Particulars	Existing 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
Gross Normative loan – Opening						
Cumulative repayment of Normative Loan upto previous year						
Net Normative loan-Opening						
Increase/Decrease due to ACE during the Year						
Repayments of Normative Loan during the year						
Net Normative loan-Closing						
Average Normative Loan						
Weighted average Rate of Interest on actual Loans						
Interest on Normative loan						

Petitioner

FORM-4B

Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans¹

Name of LDC: _____

(Rs in lakh)

Sl. no.	Particulars	Existing 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
	Loan-1						
	Gross loan – Opening						
	Cumulative repayments of Loans upto previous year						
	Net loan – Opening						
	Add: Drawal (s) during the Year						
	Less: Repayment (s) of Loans during the year						
	Net loan – Closing						
	Average Net Loan						
	Rate of Interest on Loan on annual basis						
	Interest on loan						
	Loan repayment effective from (date to be indicated)						
	Loan-2 ...						
	Loan-3 and so on						
	Total Loan						
	Gross loan – Opening						
	Cumulative repayments of Loans upto previous year						
	Net loan – Opening						
	Add: Drawal (s) during the Year						
	Less: Repayment (s) of Loans during the year						
	Net loan – Closing						
	Average Net Loan						
	Interest on loan						
	Weighted average Rate of Interest on Loans						

¹In case of Foreign Loans, the calculations in Indian Rupees is to be furnished. However, the calculations in Original currency are also to be furnished separately in the same form.

Petitioner

Form -4C

Details of Foreign Loans

Name of the LDC: _____

Exchange Rate as on 01.04.2019: _____

(Rs. in lakh)

FY starting from 1.4.19		Year-1				Year-2 – Year-3 and so on				
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Date	Amount (Foreign Exchange)	Exchang e rate	Amount (in Rs)	Date	Amo unt (Fore ign Exc.)	Exchange Rate	Amount (in Rs)	...
	Currency1 [1]									
A	1 At the date of Drawl									
2	Scheduled repayment date of principal									
3	Scheduled payment date of interest									
4	At the end of Financial year									
	B In case of Hedging [3]									
1	At the date of hedging									
2	Period of hedging									
3	Cost of hedging									
	Currency2 [1]									
A	1 At the date of Drawl									
2	Scheduled repayment date of principal									
3	Scheduled payment date of interest									
4	At the end of Financial year									
	B In case of Hedging [3]									
1	At the date of hedging									
2	Period of hedging									
3	Cost of hedging									

Petitioner

FORM-5A

Statement of Depreciation

Name of LDC:

(Rs. In lakh)

Financial Year	Existing 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	11	12	13	14	15
Depreciation on Capital Cost						
Depreciation recovered during the Year						
Cumulative depreciation deducted due to de-capitalization or write off of the assets etc.						
Cumulative Depreciation & Advance against Depreciation recovered upto the year						

Petitioner

FORM-5B

Calculation of Depreciation Rate

Name of LDC:

(Rs in lakh)

Sl. no.	Name of the Assets ¹	gross Block as on 31.03.2019, whichever is later and subsequently for each year thereafter up to 31.3.2024	Depreciation Rates as per CERC's Depreciation Rate Schedule	Depreciation Amount for each year up to 31.03.2024
	1	2	3	4= Col.2 X Col.3
1	Land (Freehold, Lease hold)			
2	Building and civil works			
3	Auxiliary power supply system			
4	Office furniture and furnishing			
5	Communication equipment			
6	SCADA hardware with test equipment and spares			
7	ICT equipment			
8	Software			
9	TOTAL			
	Weighted Average Rate of Depreciation (%)			

¹Name of the Assets should conform to the description of the assets mentioned in Depreciation Schedule appended to the Notification.

Petitioner

FORM-6A

Details of Operation and Maintenance Expenses excluding Human Resource expenses

Name of LDC:

(Rs. in lakh)

	ITEMS	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	1	2	3	4	5	6
1	Repairs and maintenance expenses					
2	Administrative and General expenses etc.					
3	Total					

NOTE:

1. Detail of these expenditure as per formats enclosed
2. To be furnished for the [...] LDC.

Petitioner

FORM-6B

Name of LDC:

Details of Human Resource Expenses

Period-	1	ACTUALS FOR PREVIOUS FIVE YEARS
	2	ACTUALS FOR IST SIX MONTHS OF THE CURRENT YEAR
	3	EXPECTED FOR LAST SIX MONTHS OF THE CURRENT YEAR
	4	EXPECTED FOR ENSUING YEAR

Sr. No.	Account Code	Particulars	Executive	Non-Executive	Total
1	Number of Employees				
2	Salaries				
3	Over-time				
4	Dearness Allowance				
5	Other Allowance				
6	Bonus				
7	Productivity Linked Incentive				
8	Sub Total (1 to 6)				
	OTHER STAFF COST				
8	Reimbursement of Medical Expenses				
9	Leave Travel Concession				
10	Reimbursement of House Rent				
11	Interim Relief to Staff				
12	Encashment of Earned Leave				

13	Honorarium						
14	Payment under Workmen compensation Act						
15	Ex-gratia						
16	Expenditure on VRS						
17	Sub Total (8 to 16)						
18	Staff Welfare Expenses						
19	Terminal Benefits						
20	Provisions						
21	Others (Specify)						
22	Human Resource Development						
23	Total (7+17+18+19+20+21+22)						
	Revenue recovered, if any						
24	Revenue recovered, if any						
25	Net Total (23-24)						
Additional Information							
1	No. of Employees as on :						
	i) Executives						
	ii) Non-Executives						
	iii) Skilled						
	iv) Non-Skilled						
	Total						
2	No. of Employees per						
	i) MW handled						
	ii) MKwh handled						

I)	An annual increase in HR expenses under a given head in excess of 20 percent should be explained with proper justification.
II)	The data should be based on audited balance sheets.
III)	Details of arrears, if any pertaining to prior period should be mentioned separately.
IV)	No. of employees opting for VRS during each year should be indicated.
V)	Details of abnormal expenses, if any shall be furnished separately.

Petitioner

FORM-6C

Details of Repairs and Maintenance Expenses

Name of LDC:

A. Repairs and Maintenance Expenses(Actuals)

(Rs in lakh)

Sr.No.	Description	Actuals for previous Financial Year	Current Financial Year			Estimates for ensuing year
			Actual For First Six Months	Projection For Balance Six Months	Total	
1	Consumption of stores and spares					
2	Loss of stores and spares					
3	Plant & Machinery repairs and maintenance					
4	Civil works repairs and Maintenance					
5	Annual Maintenance Contract (4a+4b+4c)					
5a	-Plant & machineries					
5b	-Civil repairs and maintenance					
5c	-Others					
6	Others (Specify)					
7	Total (1+2+3+4+5+6)					
8	Revenue recoveries, if any					
9	Net Total (7-8)					

B. Repairs And Maintenance Expenses (As per Regulation)

(Rs in lakh)

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Admitted Capital cost as on 1st April of the year					
Repairs and Maintenance expenses					
Repairs and Maintenance expenses as a percentage of Capital cost					

Petitioner

FORM-6D

Details of Administrative and General Expenses

Name of LDC/:

SI. No.	Description	Actual for previous five Financial Year (Rs in lakh)	Current Financial Year (Rs in lakh)			Estimates for ensuing Year (Rs in lakh)
			Actual For First Six Months	Projection For Balance Six Months	Total	
Property Related Expenses						
1	License Fees					
2	Rent					
3	Rates & Taxes					
4	Insurance					
5	Contribution to accident reserve fund					
6	Sub total :					
Communication						
7	Telephone & Trunk Call					
8	Postage & Telegram					
9	Telex, Teleprinter Charges, Telefax					
10	Courier Charges					
11	Other					
12	Sub total :					
Professional Charges						
13	Legal expenses					
14	Consultancy charges					
15	Technical fees					
16	Audit fees					
17	Othe charges					
18	Sub total :					
Conveyance & Travelling						
19	Conveyance expenses					
20	Travelling expenses					
21	Hire charges of vehicle					
22	Others					
23	Subtotal :					
Other Expenses						
24	Electricity charges					

25	Fees & Subscription					
26	Books & Periodicals					
27	Printing & Stationery					
28	Advertisement					
29	Entertainment					
30	Watch & Ward					
31	Miscellaneous					
32	Organizational Development Expenses					
33	Donation					
34	Subtotal :					
	Material Related Expenses					
35	Demurrage and Wharf age on materials					
36	Clearing & forwarding charges					
37	Transit insurance					
38	Subtotal :					
39	Others (Specify)					
40	Total (6+12+18+23+34+38+39)					
41	Revenue recoveries, if any					
42	Net Total (40-41)					

Petitioner

FORM-7

Details of OPEX

Name of LDC/

(Rs in lakh)

Sl. No.	Particulars	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	Total					

Petitioner

FORM-8

Calculation of Interest on Working Capital

Name of LDC/

(Rs in lakh)

Sl. No.	Particulars	Existing 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O & M expenses excl. HR						
2	Human resource expenses						
3	NLDC charges (Applicable for RLDC only) or RLDC Charges (Applicable only for SLDCs)						
4	Receivables						
5	Total Working Capital						
6	Rate of Interest						
7	Interest on Working Capital						

Petitioner

FORM 9

LDC Development Fund (Projected)

Name of LDC: _____

(Rs in lakh) Particulars	Existing 2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
Opening LDC Development Fund – Opening						
Additions in LDC development fund during the year						
Total LDC development fund						
Less: Utilization for capital expenses						
Less : Utilization for revenue expenses						
Net LDC development fund as on 31 st March of the year						
Average fund accumulated during the year						

Note: Break-up of additions and utilization shall be provided in separate sheet for each year

Petitioner

FORM 10

Other Income

Name of LDC: _____

(Rs in lakh) Particulars	As on 31.3.2019	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
Other Income – Opening						
Add : Short term open access charges						
Add : Allocation from REC income						
Add:						
Add:						
Gross Income during the year						
Less : Utilization to meet shortfall						
Less: Use for...						
So on						
...						
Net Income as on 31 st March....						

Petitioner

Appendix-II

[To be published in pursuance of Regulation 6]

Name of the Applicant (in Bold Letters)

(Registered Office Address)

- The applicant above-named has made an application before the (Central Electricity Regulatory Commission, [Location] for determination of fees and charges for [Give name of the applicant].
- The users of the [...] LDC are:
 -
 -
- Details of tariff (Publish only applicable portion):

(Rs. in lakh)

	Tariff for the previous year	Year-wise tariff sought to be determined					
		Previous year	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
[...]LDC							

- A copy of the application made for determination of tariff is posted on the website (indicate here the address of the

website).

5. The suggestions and objections, if any, on the proposals for determination of tariff contained in the application be filed by any person, including the beneficiary before **the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission,[Address]**with a copy to the applicant within 30 days of publication of this notice.

Place _____

Name and Designation of the Authorized Signatory

Date _____

Appendix-III

Depreciation Schedule

S. No.	Asset Particulars	Depreciation Rate
A	Land under full ownership	0.00%
B	Land under lease	
(a)	for investment in the land	3.34%
(b)	For cost of clearing the site	3.34%
C	<u>Other Assets</u>	
A	Building & Civil Engineering works	
(i)	Offices and residential	[3.34%]
(ii)	Containing plant and equipment	3.34%
(iii)	Temporary erections such as wooden structures	[100.00%]
(iv)	Roads other than Kutcha roads	[3.34%]
(v)	Others	[3.34%]
B	Transformers, Kiosk, sub-station equipment & other fixed apparatus(including plant foundation)	
(i)	Transformers including foundation shaving rating of 100 KVA and over	5.28%
(ii)	Others	5.28%
C	Solar Panel/Wind Mill	5.28%
D	Lightning arrestor	
(i)	Station type	5.28%
(ii)	Pole type	5.28%
(iii)	Synchronous condenser	5.28%
E	Batteries	15.00%
(i)	Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
(ii)	Cable duct system	3.34%

F	Overhead lines including cable support systems	
(i)	Lines on fabricated steel operating at terminal voltages higher than 66 kV	3.34%
(ii)	Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than 13.2 kV but not exceeding 66 kV	5.28%
(iii)	Lines on steel on reinforced concrete support	5.28%
(iv)	Lines on treated wood support	5.28%
G	Meters	5.28%
H	Self-propelled Vehicles	9.50%
I	Air Conditioning Plants	
(i)	Static	5.28%
(ii)	Portable	9.50%
J	(i) Office furniture and furnishing	6.33%
	(ii) Office equipment	6.33%
	(iii) Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
	(iv) Street Light fittings	5.28%
K	Apparatus let on hire	
(i)	Other than motors	9.50%
(ii)	Motors	6.33%
L	Communication equipment	
(i)	Radio and high frequency carrier system	6.33%
(ii)	Telephone lines and telephones	6.33%
M	I. T equipment	15.00%
N	Software	15.00%
O	Any other assets not covered above	5.28%

Petitioner

Appendix-IV**(In Compliance of Regulation 4)**

- 1. Name of the entity** (in bold letters):
- 2. Registered office address:**
- 3. Region in which registration is sought:**
 - i. North-eastern
 - ii. North

- iii. East
- iv. West
- v. South

4. User category:

- i. Generating Station
- ii. Seller
- iii. Buyer
- iv. Transmission Licensee
- v. Distribution Licensee
- vi. Trading Licensee
- vii. Power Exchange
- viii. Battery Energy Storage system
- ix. QCA / Aggregators
- x. Others

5. User details (as on 31st March of last financial year):

i. Category – generating Station

- i. Total Installed Capacity
- ii. Maximum Contracted Capacity (MW) using ISTS
- iii. Points of connection to the ISTS:

Sl. No.	Point of connection	Voltage level (kV)	Number of Special Energy Meters (Main) installed at this location

ii. Category - Seller/Buyer/Distribution Licensee

- i. Maximum Contracted Capacity (MW) using ISTS
- ii. Points of connection to the ISTS:

Sl. No.	Point of connection	Voltage level (kV)	Number of Special Energy Meters (Main) installed at this location

iii. Category – Transmission Licensee (inter-State)

- i. Sub-stations:

Sl. No.	Sub-station Name	Number of transformer	Total Transformation Capacity or Design MVA handling capacity if switching Station

- ii. Transmission lines: (line wise details to be given)

Sl. No.	Voltage level (kV)	Number of transmission lines	Total Circuit-Kilometers

- iv. Category (Others): Please specify details.

6. Contact person(s) details for billing related to [...] LDC:

- i. Name:
- ii. Designation:

- iii. Telephone No.:
 iv. E-mail address:
 v. Postal address:

7. Other Details:

- i. PAN No.:
 ii. GST No.:
 iii. Bank Account No.:
 iv. Bank Name and Address:
 v. MICR No:

The above information is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Authorized Representative

Place:

Name:

Date:

Designation:

Contact number:

Appendix-V

Assessment of Key Performance Indicators for RLDC / NLDC

Name of NLDC/RLDCs: _____

Performance Year: _____

Category	Overall weightage	Sr. No.	Key Performance Indicators	Weightage
(A) Stake holder satisfaction	40	1	MoU Rating as per DPE	10
		2	Facilitate power system and market functioning <ul style="list-style-type: none"> • Power Market transaction (Collective & Bilateral), REC, ESCerts • Power System Functioning: Calculation & reporting of FRC, declaration of transmission losses, stakeholder meetings including cross border 	30
		3	Maintain system reliability <ul style="list-style-type: none"> • FDI • VDI Maintenance shutdown coordination	20
		4	Website Availability	10
		5	Information dissemination <ul style="list-style-type: none"> • ATC/TTC • Transactions scheduled 	10
		6	Preparation of accounts <ul style="list-style-type: none"> • Interconnection meter error reporting • Ancillary Services • AGC 	20

(B) Financial Prudence	20	1	Variance in Capex Utilization	40
		2	Statutory compliance – Audits	60
(C) Learning & Growth	20	1	New technology adoption / R&D	30
		2	Lessons learnt and knowledge dissemination by way of data intensive reports	30
		3	Adequacy of HR - % of certified operators among eligible operators	20
		4	Capacity Building <ul style="list-style-type: none"> • No. of man-days per year per eligible employee • FOLD Meetings/Workshops 	20
(D) Internal Process	20	1	Availability of Decision Support System – SCADA	40
		2	Availability of infrastructure and amenities	30
		3	ISO Certification	10
		4	Process Documentation – Black Start, Reactive Power	20

(Calculations of specific metrics for the key performance indicators above are to be detailed in a Procedure duly prepared by the POSOCO and submit to Commission within 3 months of issue of these Regulations for approval)

Appendix-VI

Human Resource Requirement - Projection for Control Period: _____

I. Level Wise Projected Manpower

Grade	Description	Year-1	Year-2	Year-3	Year-4	Year-5
Board	Director					
E9	Executive Director					
E8	General Manager/ Sr. General Manager/ Chief General Manager					
E7	Dy. General Manager/ Sr. Dy. General Manager					
E5-E6	Manager/ Chief Manager					
E3-E4	Executive Trainee/ Asstt. Manager/ Dy. Manager					
E2	Engineer/ Officer					
NE	Supervisor/ Junior Engineer/ Workmen					
TOT-E	Total Executives					
E/NE	Ratio of Executives to Non-Executive = (TOT-E)/(NE)					

II. Department Wise Projected Manpower

	Description	Year-1	Year-2	Year-3	Year-4	Year-5
E-RS	Executives working in rotating shifts					
E-SO	Executives in System Operation functions (Off-line)					
E-MO	Executives in Market Operation functions (Off-line)					
E-SL	Executives in System Logistics functions (off-line)					
E-OTH	Executives in Other Support functions (Off-line) (Law, HR, F&A, etc.)					
E-GS	Executives working in general shifts (E-SO+MO+SL+OTH)					

RS/GS	Ratio of Executives in Rotating Shift / General Shift					
SO/TOT	Ratio of Executives (SO/Total)					
MO/TOT	Ratio of Executives (MO/Total)					
SL/TOT	Ratio of Executives (SL/Total)					
OTH/TOT	Ratio of Executives (Oth/Total)					

III. Number of personnel in Load Despatch Centre having valid certificates (as on 31st March of respective year)

S No.	Particulars	Year-1	Year-2	Year-3	Year-4	Year-5
A	Certified executives- Basic level					
B	Certified executives - Reliability Specialist					
C	Certified executives - Market Specialist					
D	Certified executives- System Logistics Specialist					
E	Certified executives - Specialist (Others)					
F	Certified executives- Management level					
G	Total number of certified executives					
H	Total number of executives					
I	Ratio of Basic to Total (A/H)					
J	Ratio of Reliability Specialist to Total (B/H)					
K	Ratio of Market Specialist to Total (C/H)					
L	Ratio of Logistics Specialist to Total (D/H)					
M	Ratio of Other Specialist to Total (E/H)					
N	Ratio of Management Specialist to Total (F/H)					

IV. Discipline wise projected Manpower

S No.	Discipline (at graduation level)	Year-1	Year-2	Year-3	Year-4	Year-5
1	Power System					
2	Electrical					
3	Renewable					
4	Communication					
5	Computer Science					
6	Public Policy					
7	Economics					
8	Commerce					
9	Statistics					
10	Law					
11	Human Resource					
12	Finance					
13	Management					
14	Others-(Specify)					